सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15

500 प्रतियां

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2014 – 15

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्राक्कथन	01
2	सूचना का अधिकार आंकड़ों में	03
3	**अध्याय : 1** सूचना का अधिकार अधिनियम	07
4	**अध्याय : 2** उत्तराखण्ड सूचना आयोग	13
5	**अध्याय : 3** आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	57
6	**अध्याय : 4** सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	61
7	**अध्याय : 5** लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	75
8	**अध्याय : 6** आयोग के अंगीकृत संकल्प	89
9	**अध्याय : 7** आयोग की संस्तुतियां	93
10	**अध्याय : 8** आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश	97
11	**अध्याय : 9** आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां	105
12	**अध्याय : 10** वर्ष 2014 - 15 में आयोग को प्राप्त बजट	169

सूचना का
अधिकार

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (2014–15) आपके हाथों में हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में व्यवस्था है कि सूचना आयोग हर साल एक वार्षिक प्रतिवेदन बनाकर विधान सभा के पटल पर रखेगा। आयोग द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजे गए हैं लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उन्हें विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका है। इससे पूर्व वर्षों के प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखे जा चुके हैं।

सूचना का अधिकार आंदोलन की नजर से देखें तो आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे क्योंकि इनमें जो जानकारियां संकलित हैं उनसे यह पता चलता है कि प्रदेश में सूचना आंदोलन किस मुकाम पर पहुंचा है और यह भी कि कहां कुछ कमी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए इन प्रतिवेदनों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इस प्रतिवेदन का ही उदाहरण लीजिए। इसमें बताया गया है कि इस साल उत्तराखण्ड में 1,22,056 सूचना के आवेदन लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुए। 2005–06 में यह आंकड़ा 1385 था, 2006–07 में 9691 और वहां से उत्तरेत्तर वृद्धि होते हुए आज 1.22 लाख तक आ पहुंचा है। यह अच्छी खबर है और राज्य में सूचना के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता का परिचायक है। यहां पर कॉमनवैल्थ हयूमन राइट इनिशिएटिव एसोसिएशन के सर्वेक्षण का जिक्र भी कर देना चाहिए जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2013–14 में छत्तीसगढ़ में 61806 आवेदन प्राप्त हुए और हिमाचल प्रदेश में 61203 जबकि उस साल उत्तराखण्ड में प्राप्त आवेदनों की संख्या 144,790 थी। गुजरात (1,72,981) तथा राजस्थान (1,40,539) जैसे बड़े राज्यों में भी सूचना आवेदनों की संख्या हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं थी। यानी उत्तराखण्ड के नागरिक ज्यादा जागरूक हैं। लेकिन आपके समक्ष प्रस्तुत इस प्रतिवेदन में आपको ऐसे आंकड़े भी मिलेंगे जो एक बड़ी कमी की ओर इशारा करते हैं। इस साल आयोग के पास जितनी भी अपीलें/शिकायतें आईं उनमें मात्र 6 प्रतिशत महिलाओं की थीं। इन अपीलों/ शिकायतों में 30 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से थीं, बाकी सब शहरी इलाकों से। यह स्थिति ठीक नहीं है। जाहिर है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार–प्रसार में कहीं कुछ कमी रह गई है जिसे दूर किया जाना जरूरी है। प्रचार–प्रसार के काम को सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण/सेमीनारों तक सीमित न रखकर जन–जन तक पहुंचना होगा। यह काम राज्य सरकार को करना है।

इस प्रतिवेदन में आप देखेंगे कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी लोक प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार को बार–बार यह कहने का प्रयास किया है कि वे धारा 4 में अपने ऊपर आच्छादित कर्तव्यों का महत्व समझें और अपने पास धारित लोकोपयोगी सूचनाओं का बढ़–चढ़कर प्रकटन करें। विभागों की वेबसाइटों को लगातार अपडेट करके ये काम आसानी से हो सकता है। कुछ विभाग ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आपसे बता दूँ कि वर्ष 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन के प्राक्कथन में आयोग ने राज्य सरकार की सराहना की थी ''वर्ष 2013 में दैवी आपदा राहत एवं पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों की जानकारियों को जन सामान्य के सूचनार्थ वैबसाइट में अपलोड कर स्वतः प्रकट करना शासन का एक सफल प्रयास रहा है।'' इस बार की आपदा के संदर्भ में मैं इतनी मजबूती से यह बात नहीं कह पा रहा हूँ। प्रशासन में स्व–प्रकटन की भावना को आत्मसात किया जाना जरूरी है।

मुझे लगता है कि हमारा लोक–प्रशासन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित स्व–प्रकटन की भावना को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

पूर्व की शांति इस वार्षिक प्रतिवेदन में भी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) एवं धारा 25(3) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों को दिये गये दायित्वों के अनुरूप उनसे प्राप्त आंकड़ों और वर्ष 2014–15 में अधिनियम के कियान्वयन की वस्तुस्थिति के विश्लेषण को समाविष्ट किया गया है। इनमें मुख्य रूप से लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र; प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें; आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि; धारा 19(3) के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण; तथा

आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से सम्बन्धित विवरण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आयोग को वर्ष 2014—15 में प्राप्त बजट का विवरण भी इस प्रतिवेदन में दिया गया है। आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत तैयार स्वप्रकटीकरण के मैनुअल को भी इस वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2014—15 में प्रदेश में कुल 1,22,056 सूचना अनुरोध पत्र विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष कुल 1,10,857 अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया गया। इस अवधि में विभिन्न प्रथम अपीलीय अधिकारियों को कुल 11,917 प्रथम अपीलें भी प्राप्त हुयीं, जिसके सापेक्ष कुल 11,079 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया। इस अवधि में आयोग द्वारा कुल 4,164 द्वितीय अपीलों तथा 1,201 शिकायतों पर सुनवाई की गयी जिसमें से 3,263 अपीलों तथा 1,041 शिकायतों का आयोग स्तर से निस्तारण किया गया।

आयोग ने ई—गवर्नेंस की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। आयोग में पंजीकृत अपीलों तथा शिकायतों के अंतरिम आदेश अब वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन आदेशों को आयोग की वैबसाईट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

मैं आशा करता हूँ कि इस प्रतिवेदन में आयोग द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु जो संस्तुतियां की गयी हैं, उन पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय संसद द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये सूचना का अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करना भी उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है, तथा इसके पूर्ण—रूपेण पालन के लिए सूचना आयोग का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। सूचना आयोग की इस भूमिका को निभाने के लिए आयोग के सभी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य एवं निरन्तर अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय—समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं सूचना आयोग में कार्यरत सभी कार्मिकों का आभारी हूं जिनके सक्रिय सहयोग के बिना आयोग का कामकाज सुचारू रूप से चलना संभव नही था। यहां पर राज्य सरकार के प्रतिष्ठान 'उपनल' की सराहना करना भी समीचीन होगा क्योंकि आयोग के 47 कर्मठ कार्मिकों में से 39 'उपनल' द्वारा ही ''आउटसोर्सिंग'' के जरिए उपलब्ध कराए गए हैं।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री राजेश नैथानी तथा श्री सौरभ कुमार द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

प्रभात डबराल
प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार आंकड़ों में
वर्ष 2014 – 15

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="4">प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या</td><td>1,22,056*</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4">प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या</td><td>1,10,857*</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="4">प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या</td><td>11,917*</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="4">प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या</td><td>11,079*</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td colspan="5">प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*</td></tr>
<tr><td>राजस्व</td><td>विद्यालयी शिक्षा</td><td>गृह</td><td>वित्त</td><td>वन</td></tr>
<tr><td>15324</td><td>14561</td><td>14054</td><td>7901</td><td>7596</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td colspan="5">आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई</td><td colspan="3">कुल निस्तारण</td></tr>
<tr><td colspan="2">4164</td><td colspan="3">3263</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td colspan="5">आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल शिकायतों पर सुनवाई</td><td colspan="3">कुल निस्तारण</td></tr>
<tr><td colspan="2">1201</td><td colspan="3">1041</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="4">आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या</td><td>225 शास्ति
05
क्षतिपूर्ति</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="4">आरोपित शास्तियों की धनराशि (रू.)</td><td>28,63,636</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="4">आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु).</td><td>53,500</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="4">आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या</td><td>2</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="4">आयोग के आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद</td><td>11</td></tr>
</table>

*(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार अधिनियम

1. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है. इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है.

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन 55 राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहां सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है. ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं. भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहां ऐसा अधिनियम बनाया गया है.

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया. महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है.

"लोक प्राधिकारी" की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त–पोषित हैं.

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है. **नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है.** इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार से लैस करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे.

अब तक की अपने 10 वर्षों की इस यात्रा में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच में अवस्थित अधिकार समीकरण में संतुलन स्थापित करने की एक उत्तम व्यवस्था के रूप में भी देखा जा रहा है.

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम".

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- ☒ सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है. यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है.
- ☒ भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है.
- ☒ किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है.
- ☒ सूचना प्राप्त करने हेतु दस रूपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑडर/नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है. गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है.
- ☒ अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है, इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए

पांच रूपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा.

- ☒ अभिलेख की ए–3 या ए–4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रूपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी. सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है.
- ☒ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है.
- ☒ वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है.
- ☒ निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है.
- ☒ विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना होता है.
- ☒ विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है.
- ☒ यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग को शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है.

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है.

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

(i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,

(ii) शासन के समस्त निदेशालयों,

(iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,

(iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,

(v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,

(vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,

(vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,

(viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,

(ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,

(x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा

(xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05).

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं.

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें. लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने में किये गये विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हांकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है.

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा. यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग–अलग नामित किये जाने हैं. लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो.

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा.

ऐसी गैर सरकारी संस्थाऐं, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे.

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो.

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा.

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके लिए निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके.

अधिनियम की महत्वपूर्ण धारायें

धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके. प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं.

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्‌देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनैट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है.

धारा 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है. इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है.

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तिरित करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा.

धारा 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो आवेदन प्राप्त होने के 07 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस

दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी. जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिया जाना प्राविधानित है.

धारा 8

अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रकट किये जाने से छूट दी गयी है –

(i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

(ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,

(iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,

(iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,

(v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,

(vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,

(vii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पडेगी,

(viii) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं है या जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो.

उपरोक्त में से (iv), (v) एवं (viii) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा.

मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे.

धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो.

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं.

धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है. प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए.

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है. इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं. द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में जमा कराना होता है.

उत्तराखण्ड
सूचना आयोग

2. उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी. इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX (13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री विनोद नोटियाल का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 15/12/2014 को पूर्ण हुआ।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17/10/10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933/ XXX(13)G/ 2009 – 52 (5)207). दिनांक 19/10/10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934/XXX(13)G/2009–52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935/XXX(13)G/ 2009–52(5)207).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/13 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा. /2013).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/14 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा./2013).

इस प्रकार वर्ष 2014–15 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन. एस. नपलच्याल एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल (15.12.2014 तक) श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री प्रभात डबराल, श्री राजेन्द्र कोटियाल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गयी.

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

☒ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्य मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.

☒ अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो. इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये. उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नही होना चाहिये. इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये.

☒ मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी.

☒ मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं.

☒ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगें तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगें. इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा. इनके

सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

- ☒ मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.
- ☒ उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है.

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- ☒ किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना
- ☒ दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना
- ☒ किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना
- ☒ साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना
- ☒ कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये.

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चिय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है. प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी. द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- ☒ लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों.
- ☒ सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है.
- ☒ लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना.
- ☒ लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना.
- ☒ अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना.
- ☒ लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना.
- ☒ अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों मे से कोई शास्ति अधिरोपित करना

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा.

शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी. परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा. अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध

विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है.

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं. इनमें मुख्यत :

- ☒ प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है.
- ☒ प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा.
- ☒ सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं.
- ☒ यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा.

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट /प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं. अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है.

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के स्वः प्रकटीकरण के प्राविधान के अन्तर्गत तैयार उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मैनुअल

सूचना का
अधिकार

2014 – 15

मैनुअल संख्या : 1 [(धारा 4(1)(ख)(i)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

1. उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन, उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डॉ. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252 XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा की गयी.

3. इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। श्री विनोद नौटियाल का कार्यकाल दिनांक 15/12/2014 को पूर्ण हुआ।

   आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. आर. एस. टोलिया अपने कार्यकाल के पॉच वर्षों को पूर्ण कर दिनांक 17/10/10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया. दिनांक 19/10/10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी.

   राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/13 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा./2013).

   राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/14 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा./2013).

4. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रस्तर 15 अध्याय 4 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 204/XXII/2005 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के द्वारा स्थाई पदों का सृजन किया गया. जिन्हें शासनादेश सं. 13/xxxi(13)/2005 दिनांक 18 जनवरी 2010 के द्वारा स्थाई किया गया. इसके अतिरिक्त शासनादेश सं. 694 दि. 25.02.10, शासनादेश सं. 280 दि. 01.03.2011 तथा शासनादेश सं. 2016 दि. 28.06.2013 के द्वारा सृजित अस्थाई पदों के अनुसार आयोग हेतु कुल स्वीकृत पदों की स्थिति आगे दी गई है। उपरोक्त पदों के सापेक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय विभागों तथा उपनल, देहरादून के माध्यम से की गई है.

5. उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश संख्या 307/XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया गया जिसका कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में स्थित है.

कृत्य और कर्तव्य :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत जन सामान्य से सूचना का अधिकार अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करना.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत आयोग में लोक प्राधिकारी स्तर से नियुक्त अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय पर द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं आदेश देना.

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत किसी शिकायत अथवा अपील का विनिश्चय करते समय लोक प्राधिकारियों के विरूद्ध दण्ड आरोपित करना एवं उनके विरूद्ध यथा स्थिति अनुशासनात्मक

कार्यवाही की संस्तुति करना.

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना एवं उसे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना.

5. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करना।

6. लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (5) के निहित शक्तियों के अधीन, अधिनियम की भावना के अनुकूल कार्य करने की अपेक्षा करना एवं उन्हें इस संबंध में विनिर्दिष्ट करना.

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सचिव	01 पद	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ प्रान्तीय सेवा के अधिकारी
2.	उप सचिव	01 पद	15600—39100
3.	अनुसचिव	01 पद	15600—39100
4.	सहायक लेखाधिकारी	01 पद	15600—39100
5.	अनुभाग अधिकारी	01 पद	9300—34800
6.	विधि अधिकारी	01 पद	आउट सोर्सिंग
7.	जन सम्पर्क अधिकारी	01 पद	9300—34800
8.	लेखाकार	01 पद	9300—34800
9.	समीक्षा अधिकारी	04 पद	9300—34800
10.	सहायक समीक्षा अधिकारी	04 पद	5200—20200
11.	सहायक लेखाकार	01 पद	5200—20200
12.	निजी सचिव	06 पद	9300—34800
13.	वैयक्तिक सहायक	06 पद	9300—34800
14.	आशुलिपिक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	07 पद	5200—20200 (04 पद उपनल द्वारा)
15.	रिकॉर्ड कीपर	01 पद	5200—20200
16.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01 पद	उपनल द्वारा
17.	कम्प्यूटर आपरेटर	05 पद	उपनल द्वारा
18.	चालक	09 पद	उपनल द्वारा
19.	अनुसेवक	14 पद	उपनल द्वारा
20.	सुरक्षा गार्ड	04 पद	उपनल द्वारा

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 2 [(धारा 4(1)(ख)(ii)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के साधारण, अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन करना (धारा 15(4)। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना में प्राप्त होने वाली अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना. (अधिनियम की धारा 18 एवं 19) सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराना तथा उसे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना. (धारा 25)
2	राज्य सूचना आयुक्त	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना. (अधिनियम की धारा 18 एवं 19)
3.	सचिव	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण. मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कराना. उत्तराखण्ड सूचना आयोग में स्वीकृत श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति का पूर्ण अधिकार. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा जारी किये गये निदेर्शो को राज्य के लोक प्राधिकारियों को जारी करना. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये समय –समय पर राज्य सरकार से पत्राचार तथा विचार विमर्श करना. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आयोग को प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों पर लिये गये निर्णयों को रजिस्ट्रार के रूप में वादी तथा प्रतिवादी को निर्गत करना. लोक प्राधिकारियों के साथ अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठकें आयोजित करना.
4	उप सचिव	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये राज्य सरकार से प्राप्त बजट की धनराशि का आहरण–वितरण करना. उत्तराखण्ड सूचना आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कराना.

		सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आयोग के विभागीय अपीलीय अधिकारी का कार्य करना. आयोग में प्राप्त होने वाले पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को मार्गदर्शन एवं सुझाव देना. मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्तों तथा सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन कराना. राज्य के लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जांच करने के उपरान्त आयोग स्तर से अनुमोदित कराने की कार्यवाही करना.
5	विधि अधिकारी	आयोग को प्राप्त होने वाली अपील एवं शिकायतों की जॉच करना. अपीलों एवं शिकायतों को जॉच के उपरान्त तैयार कर मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत करना. विधि विषयक कार्यो का सम्पादन. अन्य कार्य।
6	सहायक लेखाकार / लेखाकार	बिलों को तैयार कर कोषागार से भुगतान की कार्यवाही आयोग में लेखा संबंधी समस्त कार्य. बजट सम्बन्धी कार्य का पर्यवेक्षण. आयकर पत्रावली का रख–रखाव. आयोग के लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों / दायित्वों का पालन
7	निजी सचिव	मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त के निजी सचिव के कार्य
8	जन सम्पर्क अधिकारी	मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये समस्त कार्य. आयोग की वैबसाईट तथा एम.आई.एस. डाटा को अद्यावधिक रखना आयोग के डाटा सर्वर का व्यवस्थित करना मोबाईल वीडियों कॉन्फैंसिंग सत्रों से संबंधित कार्य पूर्ण करना आयोग के प्रकाशनों पर स्वीकृति एवं अन्य कार्यवाही. विभिन्न मासिक प्रगति विवरण तैयार करना
9	समीक्षा अधिकारी	द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की वाद सूची तैयार करना. द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की मिसिलबंद पंजिका एवं न्यायालय पंजिकाओं को अधुनान्त करना. लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअलों की समीक्षा समस्त वैयक्तिक पत्रावलियों, सर्विस बुकों का रख–रखाव एवं सचिव के निर्देशन में कार्य करना. विभिन्न अपीलों / शिकायतों में अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा दिये गये निर्देशों

		का अनुश्रवण करना. मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त/ सचिव/उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य. शिकायत/अपील से संबंधित पत्रावलियों का रख–रखाव अधिष्ठान संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण.
10	सहायक समीक्षा अधिकारी	द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के नोटिस तैयार करना. लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअलों की समीक्षा में समीक्षा अधिकारी का सहयोग करना.
11	आशुलिपिक /सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई पर श्रुतलेख लेना तथा उनका प्रेषण सुनिश्चित करना सचिव/उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य.
12	कम्प्यूटर आपरेटर	कम्प्यूटर टंकण / डाक प्राप्ति / डाक प्रेषण सम्बन्धी कार्य
13	चालक	वाहन चलाना तथा वाहन का रख –रखाव
14	अनुसेवक	कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करना.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 3 [धारा 4(1)(ख)(iii)]

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है.

1. वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग छः सदस्यीय आयोग है अतः समस्त प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों का निस्तारण आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं पाँच राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 15424 दिनांक 13/12/12 आदेश संख्या 6117 दिनांक 17/05/13, आदेश संख्या 14742 दिनांक 17/12/13, तथा आदेश संख्या 818 दिनांक 17/01/14 के द्वारा किये गये विभागवार कार्य विभाजन के अन्तर्गत किया जाता है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों पर सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजने का कार्य उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सचिव द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किया जाता है.

2. सर्वप्रथम नोटिस के द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत/अपील की प्रति भेजते हुये 2/3 सप्ताह के भीतर शिकायत तथा अपील पर उनकी आख्या प्राप्त की जाती है तथा इसी अवधि में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि वे अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को अपने स्तर से सूचना दे सकते हैं तो सूचना उनको उपलब्ध कराते हुये आयोग को भी अवगत करायें.

3. अपीलों/शिकायतों की सुनवाई हेतु यह बाध्यता नहीं रखी गई है कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी आयोग में सुनवाई के लिये स्वयं उपस्थित हों. आयोग में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी स्तर से आख्या प्राप्त की जाती है. उससे सन्तुष्ट न होने पर शिकायत/अपील की सुनवाई हेतु अग्रेतर तिथियां आवश्यकता अनुसार निश्चित की जाती हैं. आयोग द्वारा शिकायतों एवं अपील में पारित अन्तरिम एवं अंतिम आदेशों की प्रतियां सम्बन्धित पक्षों को प्रेषित की जाती है.

4. यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) में नोटिस जारी होने के पश्चात शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान लोक सूचना अधिकारी स्तर से नहीं कर दिया जाता है तो उक्त शिकायत की अग्रिम जांच हेतु अधिनियम की धारा 18(2) में पुनः सम्बन्धित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया जाता है तथा शिकायत पर अधिनियम में दी गयी 18(2) की प्रक्रियाओं के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है.

5. अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया में उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 305/XXII/2005–9(33)2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रख्यापित नियमावली–'राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005' तथा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाती है.

सूचना का अधिकार

क्र. सं.	आयोग के कार्यों का विवरण	आयोग स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया	प्रक्रिया हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1.	धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत	स्तर 1. सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से 2/3 सप्ताह के भीतर शिकायत पर आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. प्राप्त आख्या का विश्लेषण एवं अग्रेतर कार्यवाही. स्तर 3. आख्या संतोषजनक न होने पर धारा 18 (2) में अग्रेतर जांच. स्तर 4. जांच में साक्ष्य का विश्लेषण एवं अन्तिम आदेश पारित करना.	स्तर 1. सचिव सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. सचिव द्वारा धारा 18(2) का नोटिस सम्बन्धित पक्षों को निर्गत कराना. स्तर 3. आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियों को सचिव/उप सचिव द्वारा संबंधित को भेजना.
2.	धारा 19(3) के अन्तर्गत अपील	स्तर 1. सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर 2/3 सप्ताह के अन्दर उनसे आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के साथ प्रारम्भिक सुनवाई. यदि आवश्यक हुआ तो अंतरिम आदेश पारित करना. स्तर 3. प्राप्त साक्ष्य एवं अभिलेखों के निरीक्षण उपरांत अंतिम आदेश पारित करना.	स्तर 1. सचिव, सूचना आयोग द्वारा नोटिस भेजना. स्तर 2. आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को सम्बन्धित पक्ष को सचिव द्वारा निर्गत करना. स्तर 3. आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियों को सचिव/उप सचिव द्वारा संबंधित को भेजना .
3.	धारा 25(3) के अन्तर्गत वार्षिक प्रगति तैयार करना	स्तर 1. शासन/निदेशालय स्तर के लोक प्राधिकारियों से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना. स्तर 2. उक्त प्राप्त मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.	स्तर 1. सचिव द्वारा ऐसे लोक प्राधिकारियों को चिन्हित करना, जिनसे मासिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ एवं उन्हें अनुस्मारक प्रेषित करना. स्तर 2. सचिव द्वारा नोडल विभाग के माध्यम से राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु उपलब्ध कराना.
4.	आयोग का सामान्य प्रशासन		सचिव, उप सचिव द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 15424/उ.सू.आ./2012 दिनांक 13/12/12 तथा कार्यालय आदेश संख्या 6117/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 17/05/13 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के विभिन्न सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किया जाता है :

1. **श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

लोक निर्माण	पर्यटन	उद्योग
सूचना प्रोद्यौगिकी	आवास	नगर विकास
नागरिक उड्डयन	ऊर्जा	सिंचाई
अपारम्परिक ऊर्जा	परिवहन	चीनी उद्योग
बायो टैकनोलाजी	पेयजल	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

श्री विनोद नौटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

2. **श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

गृह एवं कारागार	सतर्कता	राजस्व
आपदा प्रबंधन	वित्त	सचिवालय प्रशासन
सामान्य प्रशासन	अभियोजन	प्रोटोकॉल
राज्य संपत्ति	राज्य पुनर्गठन	नियोजन
सूचना	न्याय	उच्च न्यायालय
विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	आबकारी	

श्री अनिल कुमार शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

3. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

वन एवं पर्यावरण	ग्राम्य विकास	पंचायती राज
ग्रामीण अभियंत्रण	लघु सिंचाई	जलागम प्रबंध
कृषि	कृषि विपणन	कृषि शिक्षा
सहकारिता	गन्ना विकास	मत्स्य पालन
पशुपालन	दुग्ध विकास	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
रेशम		

श्री प्रभात डबराल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

4. **श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

उच्च शिक्षा	विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्कृत शिक्षा	संस्कृति	खेलकूद
युवा कल्याण	धर्मस्व	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री राजेन्द्र कोटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

5. **मुख्य सूचना आयुक्त** के द्वारा उपरोक्त को छोड़कर अन्य समस्त विभागों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, श्रम एवं सेवायोजन) तथा श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, विधान सभा, मुख्य सचिव कार्यालय आदि के संबंध में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था 01 जनवरी, 2014 से लागू होगी.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 14742 / उ.सू.आ. / 2013–14 दिनांक : 17 / 12 / 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
5. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
7. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
8. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
9. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग

10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 14742/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 17/12/13 के क्रम में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के सम्यक सम्पादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को निम्नवत् कार्य आवंटन किया जाता है :

पेयजल	गन्ना विकास	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
सामान्य प्रशासन	सचिवालय प्रशासन	राज्य पुनर्गठन
नियोजन	श्रम एवं सेवायोजन	

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त उपरोक्त विभागों तथा उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त; श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त; श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में आवंटित विभागों में से उपरोक्त विभागों को छोड़ कर शेष विभागों से सम्बन्धित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण पूर्ववत् किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 818/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक : 17/01/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
5. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
7. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.

8. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
9. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

कार्यालय आदेश

दिनांक 15/12/14 को श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त के आयोग में कार्यकाल पूर्ण होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या 14742/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 17/12/2013 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त को आवंटित विभागों को अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निम्नलिखित सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् आवंटित किया जाता है :

1. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त** पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 14742/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 17/12/2013; एवं कार्यालय आदेश संख्या 818/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 17/01/2014 के द्वारा आवंटित विभागों के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

आवास चीनी उद्योग	उघोग परिवहन	नगर विकास

.श्री सुरेन्द्र सिंह रावत उपरोक्त सभी विभागों से सम्बधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

लोक निर्माण सिंचाई	पर्यटन	ऊर्जा

3. **मुख्य सूचना आयुक्त** के द्वारा पूर्व आवंटित विभागों के अतिरिक्त **सूचना प्रोद्यौगिकी, नागरिक उड्डयन, अपारम्परिक ऊर्जा तथा बायो टैकनोलाजी** विभागों तथा उनसे सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 से लागू होगी.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 14735/उ.सू.आ./2014–15 दिनांक : 12/12/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
5. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
7. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
8. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु कार्यालय आदेश संख्या 14742/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 17/12/13, कार्यालय आदेश संख्या 818/उ.सू.आ. /2013–14 दिनांक 17/01/14 तथा संख्या 14735/उ.सू.आ./2014–15 दिनांक 12/12/14 के क्रम में अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के विभिन्न राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किया जाता है :

1. **श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

वन एवे पर्यावरण	ग्राम्य विकास	पंचायती राज
ग्रामीण अभियंत्रण	लघु सिंचाई	जलागम प्रबंध
कृषि	विपणन	कृषि शिक्षा
सहकारिता	मत्स्य पालन	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
पशुपालन	दुग्ध विकास	रेशम

श्री अनिल कुमार शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

2. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे

आवास	चीनी उद्योग/गन्ना विकास	परिवहन
नगर विकास	उद्योग	आयुष
चिक्तिसा शिक्षा	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	समाज कल्याण
सैनिक कल्याण	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	अल्प संख्यक कल्याण
विकलांग कल्याण	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	पिछड़ा वर्ग

श्री प्रभात डबराल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

3. **श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

गृह एवं कारागार	सतर्कता	राजस्व / कार्मिक
आपदा प्रबंधन	वित्त	अभियोजन
न्याय	सूचना	प्रोटोकॉल
विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	उच्च न्यायालय	आबकारी

श्री राजेन्द्र कोटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

4. **श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

उच्च शिक्षा	विद्यालयी एवं माध्यिमिक शिक्षा	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्कृत शिक्षा	संस्कृति	खेलकूद
युवा कल्याण	धर्मस्व	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
लोक निर्माण विभाग	पर्यटन	ऊर्जा
सिंचाई	राज्य सम्पत्ति	

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

5. **मुख्य सूचना आयुक्त** के द्वारा उपरोक्त को छोड़कर अन्य समस्त विभागों (पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, राज्य पुनर्गठन, नियोजन, श्रम एवं सेवायोजन, सूचना प्रोद्यौगिकी, नागरिक उड्डयन, अपारम्परिक ऊर्जा, बायो टैकनोलॉजी आदि) तथा श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, विधान सभा, मुख्य सचिव कार्यालय आदि के संबंध में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था 01 जनवरी, 2015 से लागू होगी.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 15384 / उ.सू.आ. / 2014—15 दिनांक : 31 / 12 / 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
5. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.

7. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
8. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 4 [धारा 4(1)(ख)(iv)]

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

1. यद्यपि आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा कोई मापमान निश्चित नहीं किये गये है, परन्तु आयोग के प्रशासनिक एवं अन्य कार्यो को तीव्र गति से सम्पादित करने हेतु समय–समय पर बैठकें आयोजित कर दिशा निर्देश दिये जाते है.

2. आयोग अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को संकल्पों के माध्यम से क्रियान्वित करता है.

3. वर्तमान में छः सदस्यीय आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई सप्ताह में प्रति सोमवार से शुक्रवार तक की तिथियों में की जा रही हैं तथा सुनवायी हेतु जो शिकायतों एवं अपीलों पर तिथियां दी जाती हैं, उनकी सूची सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाती है.

4. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई की तिथिवार सूचना (cause list) आयोग की वेबसाईट http://uic.gov.in में भी अपलोड तथा निरंतर अद्यावधिक की जाती है जिसे आयोग की वेबसाईट में कभी भी देखा जा सकता है अथवा उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.

मैनुअल संख्या : 5 [धारा 4(1)(ख)(V)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जा रहे है नियम, विनियम, निर्देशिका का ब्यौराः

क्रम संख्या	शासनादेश / संख्या आदेश	संक्षिप्त विवरण
1.	भारत का राजपत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2004 / 21	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
	उत्तराखण्ड शासन के राजपत्र / शासनादेश	
2.	266 / xxii / 2005–9 (31) 2005 दिनांक 13 अक्टूबर, 2005	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अर्न्तगत फीस एवं विनियम, 2005
3.	165 / XXXII (13)G-2 (2) / 2006 / दिनांक 31 मार्च, 2006	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)
4.	1 / XXII(7) / 2005 –9	आवेदन शुल्क हेतु प्रपत्र 385 का निर्धारण
5.	305 / XXII / 2005–9 (33)2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005	राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005
	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश	
6.	146 / सू0 / XXVI (13)G- / 2006 दिनांक 22 मार्च 2006	सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश
7.	सं0 2150 / उ.सू.आ. / दिनाक 24.08.2006.	जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुँच
8.	65 / उ.सू.आ. / मु.सु.आ. / 2005 दिनांक 06.12.2005	अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत स्वतः प्रकटीकरण
9.	12952 / 2014–15 दिनांक 31.10.2014	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अभिलेखों का सृजन, अनुरक्षण, नकल एवं 18 विनिर्दान (वीडिंग) आदेश–2014

मैनुअल संख्या : 6 [धारा 4(1)(ख)(vi)]

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण.

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज अभिलेख
1.	शिकायत (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) तथा 18(2) के अधीन).	1. मिसिलबन्द पंजिका. 2. केस डायरी 18(1). 3. शिकायतों की पृथक–पृथक पत्रावलियां.
2.	द्वितीय अपील (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन).	1. मिसिलबन्द पंजिका 2. केस डायरी 19(3). 3. अपीलों की पृथक–पृथक पत्रालियां.
3.	लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.	1. अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. 2. विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. 3. अनुरोधों के अग्रसारण की पत्रावली.
4.	प्रशासनिक	1. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली. 2. सचिव द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली 3. नोडल विभाग से पत्र व्यवहार पत्रावली. 4. आयोग की विभागीय बैंठकों के कार्यवृत्त की पंजिका.
5.	स्थापना	1. आयोग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां. 2. आयोग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका. 3. स्थापना सम्बन्धी पत्रावलियां.
6.	लेखा	1. कैश बुक. 2. कोषागार चैक पंजिका. 3. भुगतान पंजिका. 4. प्रासंगिक व्यय सम्बन्धी पंजिका. 5. इलेवन–सी पंजिका. 6. वेतन बिल पंजिका. 7. स्टॉक बुक पंजिका. 8. कोषागार पंजिका. 9. सामान्य भविष्य निधि पासबुक.

		10. सामान्य भविष्य निधि लेजर. 11. क्रय सम्बन्धी पत्रावलियां. 12. कोषागार से पत्र व्यवहार पत्रावलियां. 13. बजट पत्रावली. 14. व्यय विवरण पंजिका. 15. महालेखाकार से व्यय मिलान पत्रावली. 16. महालेखाकार ऑडिट पत्रावली
7.	सामान्य	1. पत्र प्राप्ति पंजिका. 2. पत्र निर्गमन पंजिका. 3. समस्त लोक प्राधिकारियों से पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां. 4. प्रकाशन सम्बन्धी पत्रावली.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 7 [धारा 4(1)(ख)(vii)]

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है.

आयोग का मुख्य कार्य जन सामान्य तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पहुँच बनाना है. आयोग द्वारा समय–समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भाग लिया जाता है एवं इन विचार–विमर्श गोष्ठियों में जनता के प्रश्नों का सीधे उत्तर दिया जाता है.

क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित प्रश्नों का समाधान भी किया जाता है.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 8 [धारा 4(1)(ख)(viii)]

*ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और निकायों के,
जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है,
जिनका उसके भागरूप में सलाह देने के
प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि
क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों
की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के
कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण.*

आयोग स्तर पर सलाह देने के प्रयोजन के लिये बोर्ड, परिषदों, समितियों का गठन नहीं किया गया है.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 9 [धारा 4(1)(ख)(ix)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	दूरभाष नम्बर	ई–मेल
1.	श्री एन0एस0 नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाइल न.– 9412992127	nripnapalchyal@hotmail.com
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त (15/12/2014 तक)	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) 0135–2675984 (आवास) मोबाईल– 9412050091,	vnautiyal25@gmail.com
3	श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9412050831	aks.sic@gmail.com
4	श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9412050832	p_dabral@hotmail.com
5	श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9412054110	kotiyalrajendra@gmail.com
6	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9557402010	uicddn@gmail.com
7	श्री त्रेपन सिंह बिष्ट, विधि अधिकारी (संविदा)	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com
8	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल, सचिव	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) 9012081666	uicddn@gmail.com
9	श्री राजेश नैथानी निजी सचिव	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) 9412052000	naithani.rajesh@gmail.com
10	श्री मनमोहन नैथानी सहायक लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393020	robbynaithani@ rediffmail.com
11	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393021	
12	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410394421	

13	श्री उमेश चन्द सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393021	
14	श्री सौरभ कुमार सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9456380038	
15	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	9917533343	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
16	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक	9410592369	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
17	कु0 ममता रावत, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
18	कु0 रेशमा फर्स्वाण, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
19	श्री चन्द्रा गुसांई, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
20	श्रीमती अनुराधा, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
21	श्री मानवेन्द्र पटवाल, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
22	श्री सुमन सिंह रावत, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
23	श्री पंकज कुमार, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
24	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
25	श्रीमती रजनी भण्डारी, व्यैक्तिक सहायक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
26	श्री शैलेन्द्र हटवाल, व्यैक्तिक सहायक	9719805041	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
27	श्री नरेन्द्र गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
28	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
29	श्री मनोज सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
30	श्री पंकज कुमार, रिकॉर्ड कीपर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
31	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
32	श्री हरि सिंह पटवाल, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
33	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
34	श्री मोहन सिंह नेगी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
35	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	

36	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
37	श्री चंचल राम, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
38	श्री सुरेन्द्र पाल, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
39	श्री सौरभ बड़ोनी, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
40	श्री रविन्द्र सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
41	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
42	श्री त्रिलोक सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
43	श्री हरपाल सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
44	श्री अमर दीप, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
45	श्री नन्दन सिंह खोलिया, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
46	श्री सुरेश कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
47	श्री प्रकाश सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
48	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
49	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
50	श्री धारा सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
51	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
52	श्री नन्दू कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
53	श्री रमेश प्रसाद, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
54	श्री अमित कोहली, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
55	श्री अमर ठाकुर, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 10 [धारा 4(1)(ख)(X)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रत्येक आयुक्त, अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनिमयों में यथा उपबंधित हो.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16(5) के अनुसार संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्वाचन आयुक्त की है,

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है,

परन्तु यदि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा भाग जो संराशिकृत फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जायेगा.

परन्तु यह और कि जहॉ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायेगी.

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तो में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिये अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

(मार्च 2015, के वेतन बिल के अनुसार, क्रमांक 2 माह दिसम्बर 2014 के वेतन बिल के अनुसार)

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	वेतनमान (रु.)	वर्तमान कुल वेतन (रु.)
1.	श्री एन. एस. नपलच्याल मुख्य सूचना आयुक्त	90000.00 (नियत)	90000.00+ D.A-पेशन =179840
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त (15/12/2014 तक)	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A-पेशन =168540
3	श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A-पेशन =182140
4	श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.AD.A-पेशन =182140
5	श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=182140
6	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.AD.A-पेशन =130805
7	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल, सचिव	15600–39100	76590
8	श्री त्रेपन सिंह बिष्ट, विधि अधिकारी (संविदा)	नियत वेतन	27926
9	श्री राजेश नैथानी निजी सचिव	9300–34800	41651
10	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति) लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी	15600–39100	50894
11	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9300–34800	43822
12	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै, समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9300–34800	36560
13	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	5200–20200	24934
14	श्री सौरभ कुमार, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	5200–20200	27106
15	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
16	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550

17	कु0 ममता, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
18	कु0 रेशमा फर्स्वाण, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
19	श्रीमती चन्द्रा गुसांई, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
20	श्री सुमन सिंह रावत, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
21	श्री मानवेद्र पटवाल, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
22	श्री पंकज कुमार, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
23	श्रीमती रजनी भण्डारी व्यैक्तिक सहायक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
24	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
25	श्रीमती अनुराधा, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
26	श्री शैलेन्द्र हटवाल, व्यैक्तिक सहायक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14550
27	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12887
28	श्री मनोज सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12887
29	नरेन्द्र गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12887
30	श्री पंकज कुमार रिकार्ड कीपर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12887
31	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14721
32	श्री हरि सिंह पटवाल, गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14721
33	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14721
34	श्री मोहन सिंह नेगी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14721

35	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
36	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
37	श्री रविन्द्र सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
38	श्री हरपाल सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
39	श्री चंचल राम, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
40	श्री सौरभ बडोनी, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
41	श्री सुरेन्द्र पाल, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
42	श्री अमरदीप, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
43	श्री सुरेश कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
44	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
45	श्री प्रकाश सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
46	श्री त्रिलोक सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
47	श्री नन्दन सिंह खोलिया, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9677
48	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622
49	श्री नागेन्द्र भट्‌ट, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622
50	श्री धारा सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622
51	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622
52	श्री नन्दू कुंमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622
53	श्री रमेश प्रसाद, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622
54	श्री अमित कोहली, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622
55	श्री अमर ठाकुर, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16622

मैनुअल संख्या : 11 [धारा 4(1)(ख)(xi)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट.

उत्तराखण्ड शासन में सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड सूचना आयोग का नोडल विभाग है. उत्तराखण्ड सूचना आयोग को वार्षिक बजट उत्तराखण्ड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है.

आयोग में आहरण वितरण का कार्य उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा किया जाता है.

वर्ष 2014–15 हेतु आयोग को प्राप्त बजट का विवरण निम्नवत् है:

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, GAD (S017)

आवंटन पत्र संख्या - 4076/xxxi(13)G/2014

अलोटमेंट आई डी - S14120601

अनुदान संख्या - 006

आवंटन पत्र दिनांक -16-Dec-20

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

लेखा शीर्षक
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें
800 - अन्य व्यय
00 - सूचना आयोग की स्थापना

00 -
13 - सूचना आयोग की स्थापना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	7800000	0	7800000
02 - मजदूरी	300000	0	300000
03 - महंगाई भत्ता	8600000	0	8600000
04 - यात्रा व्यय	140000	0	140000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	80000	0	80000
06 - अन्य भत्ते	806000	694000	1500000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	1200000	300000	1500000
09 - विद्युत देय	500000	500000	1000000
10 - जलकर / जल प्रभार	40000	0	40000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	300000	0	300000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400000	823000	1223000
13 - टेलीफोन पर व्यय	600000	0	600000
14 - कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों	1350000	0	1350000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	1600000	0	1600000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	6000000	1025000	7025000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	1000	400000	401000
18 - प्रकाशन	300000	0	300000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	70000	0	70000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	200000	0	200000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	150000	0	150000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	200000	300000
42 - अन्य व्यय	600000	0	600000
44 - प्रशिक्षण व्यय	1000	0	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	100000	200000	300000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	230000	0	230000
	31618000	**4142000**	**35760000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4142000

मैनुअल संख्या : 12 [धारा 4(1)(ख)(xiii)]

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में, सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम सम्पादित नहीं किए जाते हैं.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 13 [धारा 4(1)(ख)(xiii)]

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में ऐसे कार्यक्रम सम्पादित नहीं किये जाते है.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 14 [धारा 4(1)(ख)(xiv)]

किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	किस इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलेख रखे गये हैं	अभिलेख प्राप्त करने का माध्यम
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
2.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
3.	आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की दैनिक वाद सूचियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
4.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का सांख्यिकी विवरण	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
5.	द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों में पारित अंतिम आदेशों की पी.डी.एफ. प्रतियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
6.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मैनुअल	वेबसाइट uic.gov.in पर सी0डी0 के रूप में	इण्टरनेट पर्सनल कम्प्यूटर के प्रयोग से

मैनुअल संख्या : 15 [धारा 4(1)(ख)(XV)]

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है.

1. नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयोग कार्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल उपलब्ध है.

2. आयोग कार्यालय जन सामान्य के लिये **प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सप्ताह में 6 दिन** (सोमवार से शनिवार, राजकीय अवकाश को छोड़कर) खुला रहता है तथा आयोग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथा दूरभाष पर इस दौरान अधिनियम के प्रयोग से संबंधित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं.

3. राज्य सूचना आयोग में आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकारी स्तर पर रखी गई सूचना हेतु निर्धारित फीस पर आवेदन कर सकता है. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी, सूचना हेतु प्राप्त ऐसे अनुरोधों को संबंधित लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) में शीघ्रता से अंतरित करते हैं.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 16 [धारा 4(1)(ख)(xvi)]

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी

श्री मनमोहन नैथानी
सहायक लेखाधिकारी
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर,
देहरादून.
दूरभाष न0 0135–2675780, 2675779 (कार्यालय)
मोबाइल न0 9410393020

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल
सचिव
सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर,
देहरादून.
दूरभाष न0 0135–2675780, 2675779 (कार्यालय)
मोबाइल न0 9012081666

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 17 [धारा 4(1)(ख)(xvii)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

उत्तराखण्ड शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की जन सामान्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये पाठन सामग्री प्रकाशित की गयी है, जिसे नागरिकों / जन सामान्य द्वारा आयोग की वैबसाईट uic.gov.in पर ऑनलाईन रूप में देखा जा सकता है तथा आयोग कार्यालय से स–शुल्क प्रतियां (उपलब्धता के आधार पर) प्राप्त की जा सकती हैं.

सूचना का अधिकार

आयोग की संस्तुतियों पर
राज्य सरकार द्वारा
की गयी कार्यवाही

3. आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी संस्तुतियां की जाती हैं जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को सकारात्मक एवं व्यापक रूप में क्रियान्वित किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है. ऐसी संस्तुतियां सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती हैं.

इसी क्रम में आयोग द्वारा निम्नलिखित 3 संस्तुतियां वर्ष 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी थीं :

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाले पत्र व्यवहार को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से किये जाने की व्यवस्था है परन्तु लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इसके लिए कार्यालय से डाक व्यय नहीं प्राप्त हो रहा है. इस कारण ग्राम विकास, राजस्व आदि विभिन्न लोक प्राधिकारियों के अन्तर्गत नामित लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना आवेदनकर्ताओं को समय से सूचना प्रेषित करने तथा अन्य सम्बन्धित पत्राचार करने में कठिनाई होती है. इस कारण आवेदनकर्ताओं को समय से सूचना प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है.

आयोग की संस्तुति है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी के वार्षिक बजट में पृथक शीर्षक के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए जिसे लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पत्र व्यवहार तथा मांगे गये अभिलेखों की छायाप्रति तैयार करने में होने वाले व्यय को पूर्ण करने में उपयोग किया जा सके, तथा जिसके फलस्वरूप आवेदनकर्ताओं को समय से सूचना प्राप्त हो सके.

संस्तुति : 2

आयोग में विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवायी के समय प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की सम्यक् जानकारी नहीं होती है. इस कारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों तथा प्रथम अपीलों के सयान्तर्गत एवं उचित निस्तारण करने में उन्हें कठिनाई होती है. सूचना आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के कारण बहुत से प्रकरणों में आयोग को ऐसे लोक सूचना अधिकारियों पर शास्ति आरोपण, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है.

आयोग की संस्तुति है कि लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी अपने दायित्व का निवर्हन सुविधापूर्वक कर सकें, इसके लिए समस्त लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का गहन प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराया जाना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त एक ऐसी मार्गदर्शिका पुस्तिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम तथा मा. उच्चतम न्यायायलय एवं मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिनियम से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर पारित निर्णयों व अन्य स्पष्टीकरण से सम्बन्धित सामग्री संकलित की गयी हो, को लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

संस्तुति : 3

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में धारा 18 के अन्तर्गत सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत करने की कोई समय–सीमा नहीं दी गयी है. आयोग की संस्तुति है कि राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर नियम बना कर ऐसी शिकायत हेतु समय–सीमा निर्धारित की जाये, जो अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए.

संस्तुति : 4

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(च) में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :

लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

परन्तु राज्य सरकार के स्तर से अभी तक उपरोक्त आरोपित शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है. अतः आयोग की यह संस्तुति है कि आयोग द्वारा आरोपित शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाये.

संस्तुति : 5

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(ख), 11(ग) तथा 11(ड) में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :

आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तो में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध–आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने के लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन के लिए आयोग द्वारा प्रारूपों को राज्य सरकार के स्तर से निर्गत कर समस्त लोक प्राधिकारियों को इनके अनुसार ही उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(ख), 11(ग) तथा 11(ड) के प्राविधानों का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाये.

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 – 06	03	03
2006 – 07	20	12
2007 – 08	08	04
2008 – 09	09	04
2009 – 10	04	04
2010 – 11	05	05
2011 – 12	03	
2012 – 13	03	

सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों
का
संख्यात्मक विवरण

4. सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

4.1 प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या

वर्ष 2014–15 में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों को कुल 1,22,056 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष कुल 1,10,857 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया. इस वर्ष राजस्व विभाग को सबसे अधिक 15,324 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये.

4.2 आयोग में लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या

वर्ष 2014–15 में राजस्व विभाग से सम्बन्धित सबसे अधिक द्वितीय अपील आयोग में प्राप्त हुयीं. इसके उपरान्त विद्यालयी शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग तथा गृह विभाग से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या थी.

4.3 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत

आयोग को वर्ष 2014–15 में जनपद देहरादून से 34 प्रतिशत द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं जो आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या का सर्वाधिक था. इसके उपरान्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या रही. बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या एवं प्रतिशत अत्यंत कम रहा.

4.4 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत

विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2014–15 में महिला अपीलकर्ताओं की संख्या और कम रही तथा पुरूष अपीलकर्ताओं द्वारा ही अधिकतम द्वितीय अपीलें (94 प्रतिशत) आयोग को प्रेषित की गयी.

4.5 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

वर्ष 2014–15 में ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 30 प्रतिशत तथा शेष 70 प्रतिशत द्वितीय अपीलें शहरी क्षेत्र से आयोग को प्राप्त हुयीं.

4.6 आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत

इस अवधि में द्वितीय अपीलों की भांति देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक रही है जबकि बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या न्यूनतम रही है.

4.7 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत

वर्ष 2014–15 में कुल प्राप्त शिकायतों में से 6 प्रतिशत ही महिला शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग में शिकायतें दर्ज करायीं तथा शेष 94 प्रतिशत शिकायतकर्ता पुरुष रहे.

4.8 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों से आयोग को वर्ष 2014–15 में 33 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं जो कि विगत वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक है.

4.9 लोक प्राधिकारीवार प्रगति विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों को वर्ष 2014–15 में प्राप्त सूचना अनुरोध पत्र, प्रथम अपील तथा उनके सापेक्ष कृत निस्तारण आदि को इस विवरण में दिया गया है.

लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन
(2014 – 15)

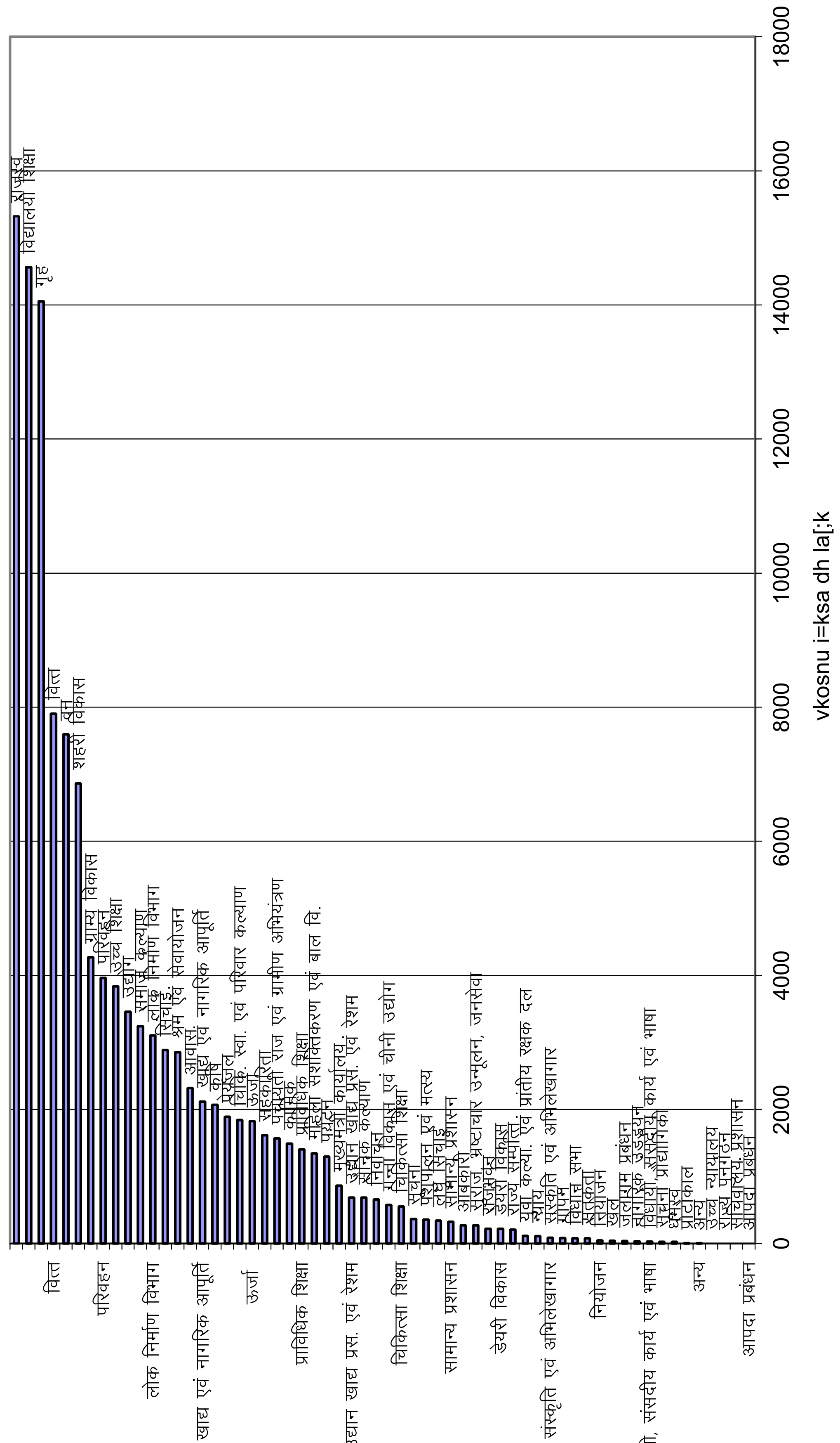

लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या
(2014 – 15)

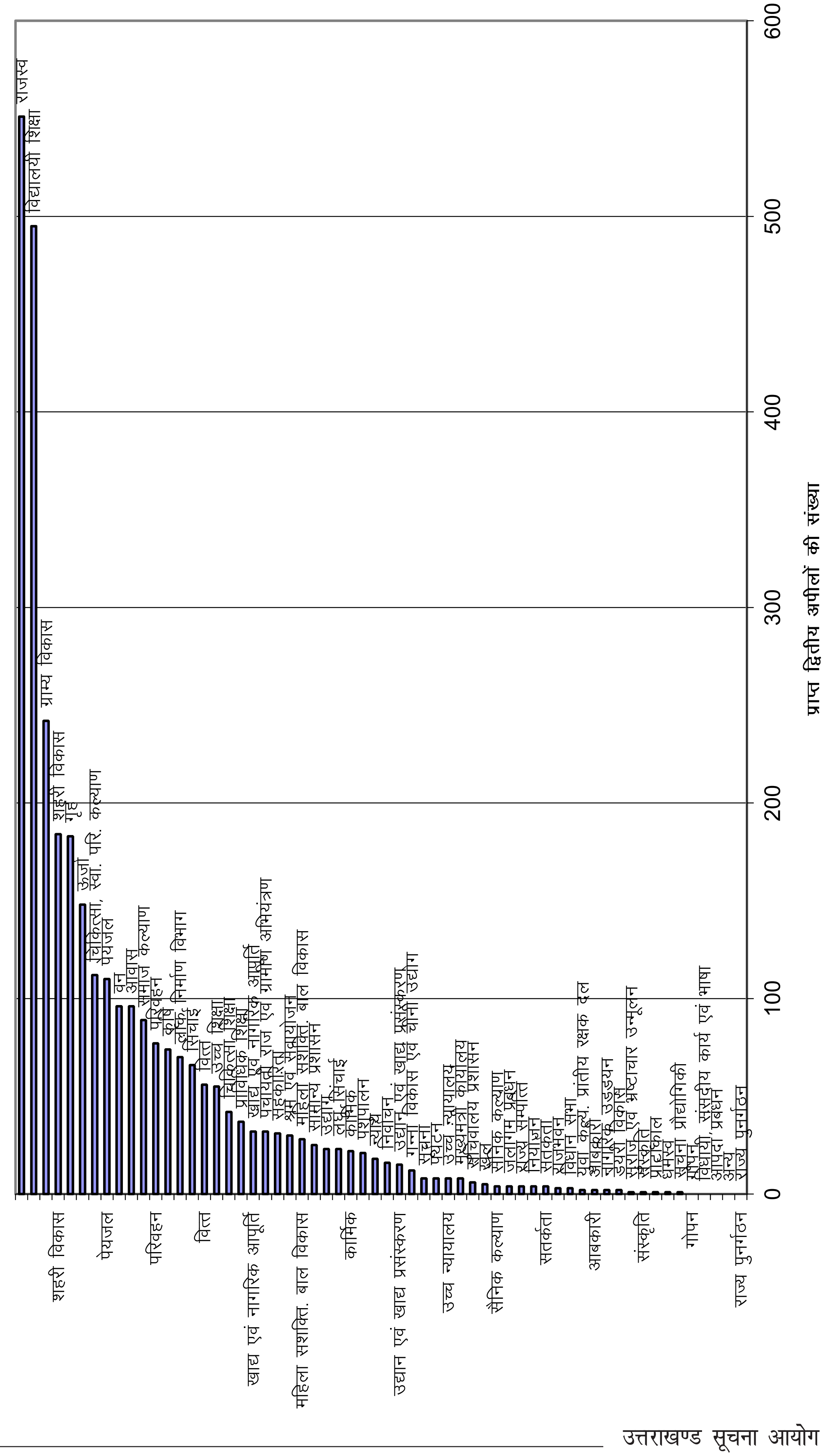

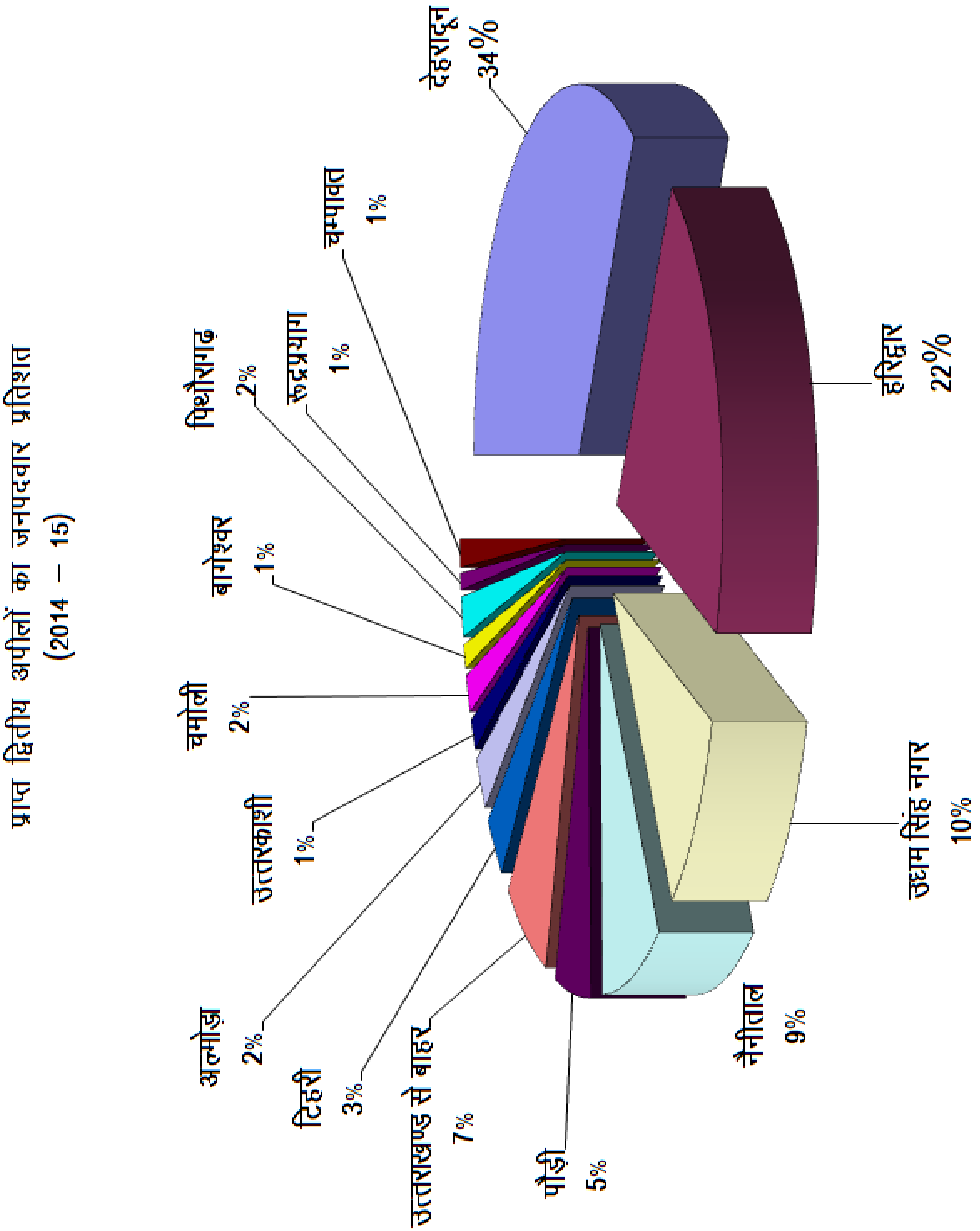
प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत
(2014 – 15)
देहरादून 34%
हरिद्वार 22%
उधम सिंह नगर 10%
नैनीताल 9%
पौड़ी 5%
उत्तराखण्ड से बाहर 7%
टिहरी 3%
अल्मोड़ा 2%
उत्तरकाशी 1%
चमोली 2%
बागेश्वर 1%
पिथौरागढ़ 2%
रूद्रप्रयाग 1%
चम्पावत 1%

प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष अनुपात (2014 – 15)

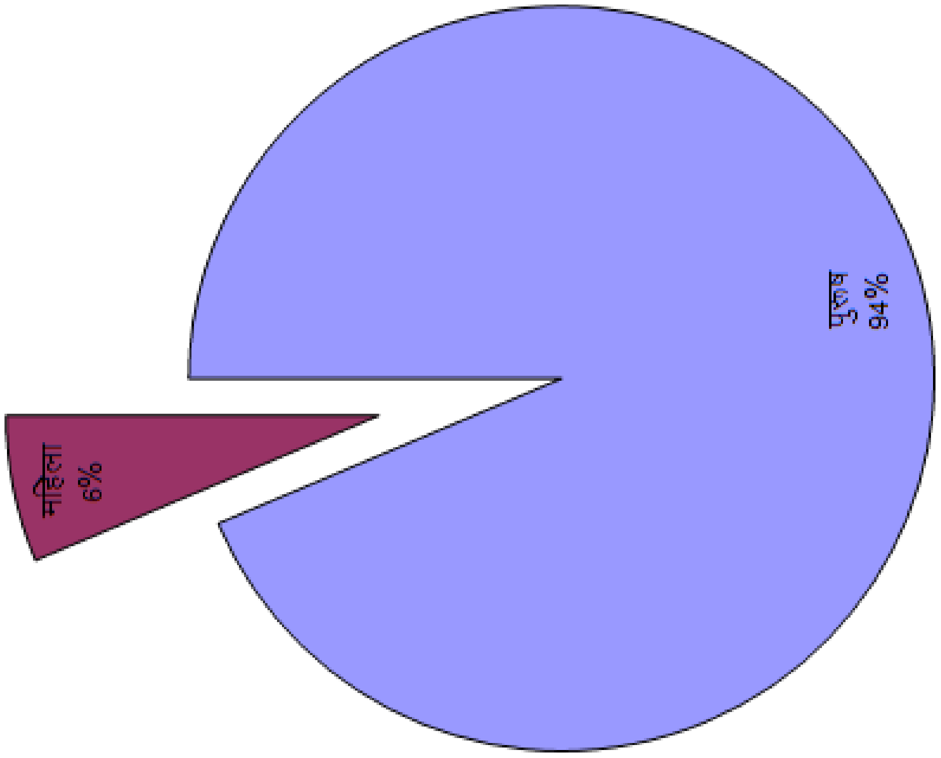

प्राप्त द्वितीय अपीलों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात
(2014 – 15)

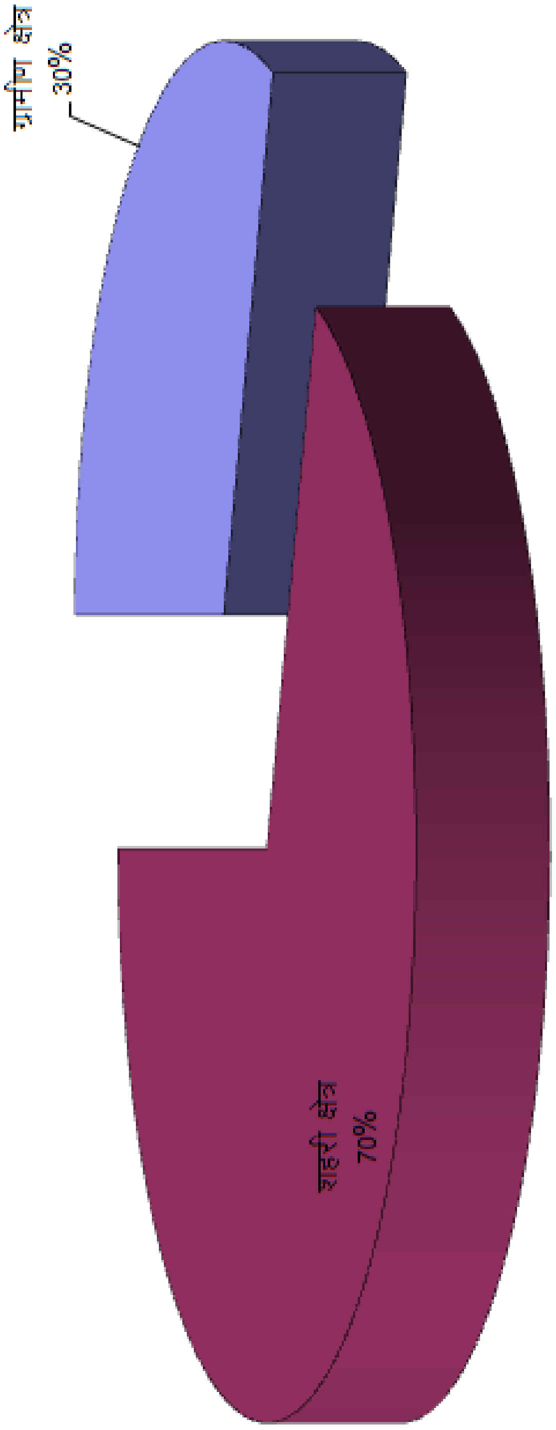

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत
(2014 – 15)

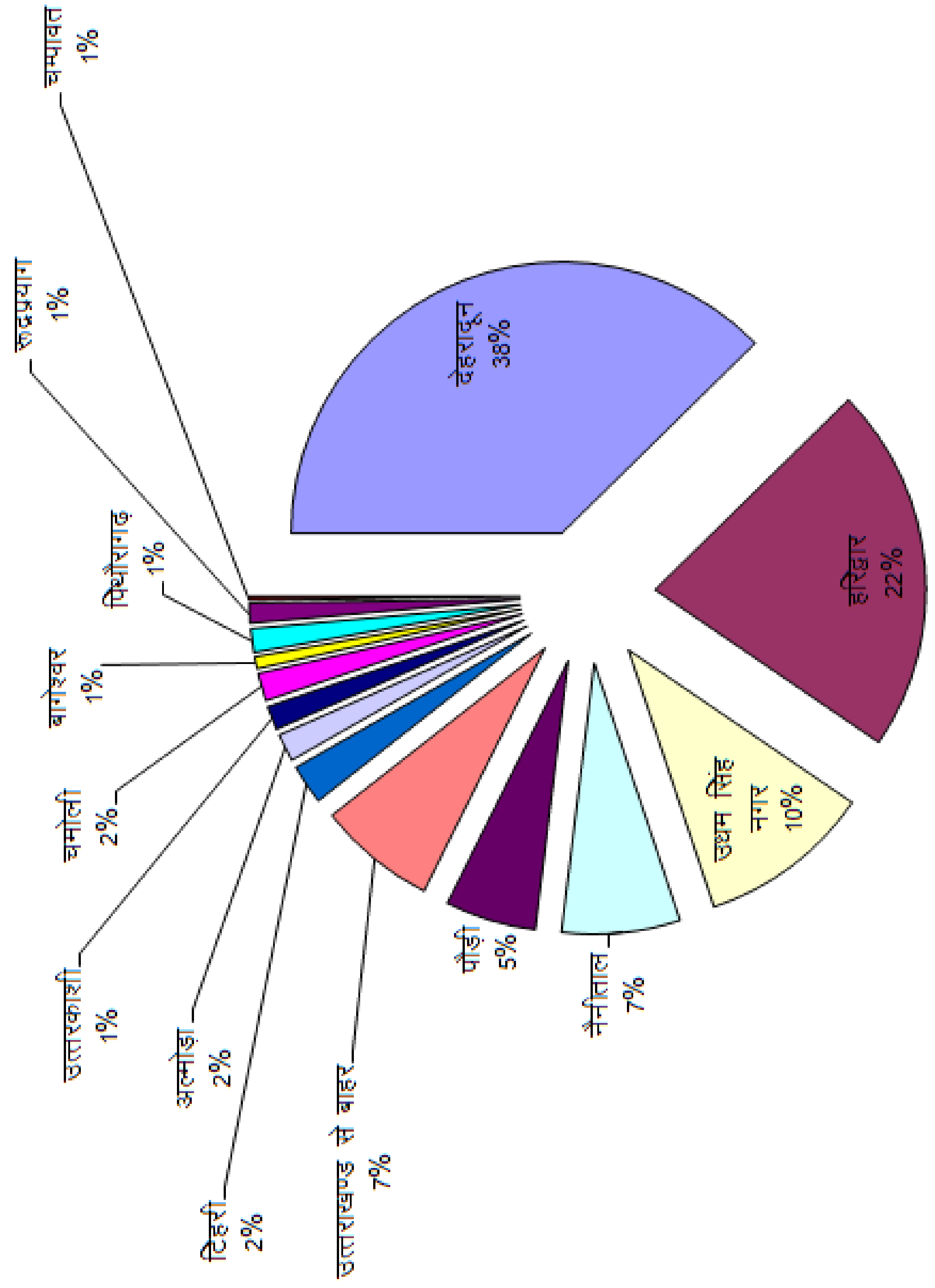

`आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष अनुपात
(2014 – 15)

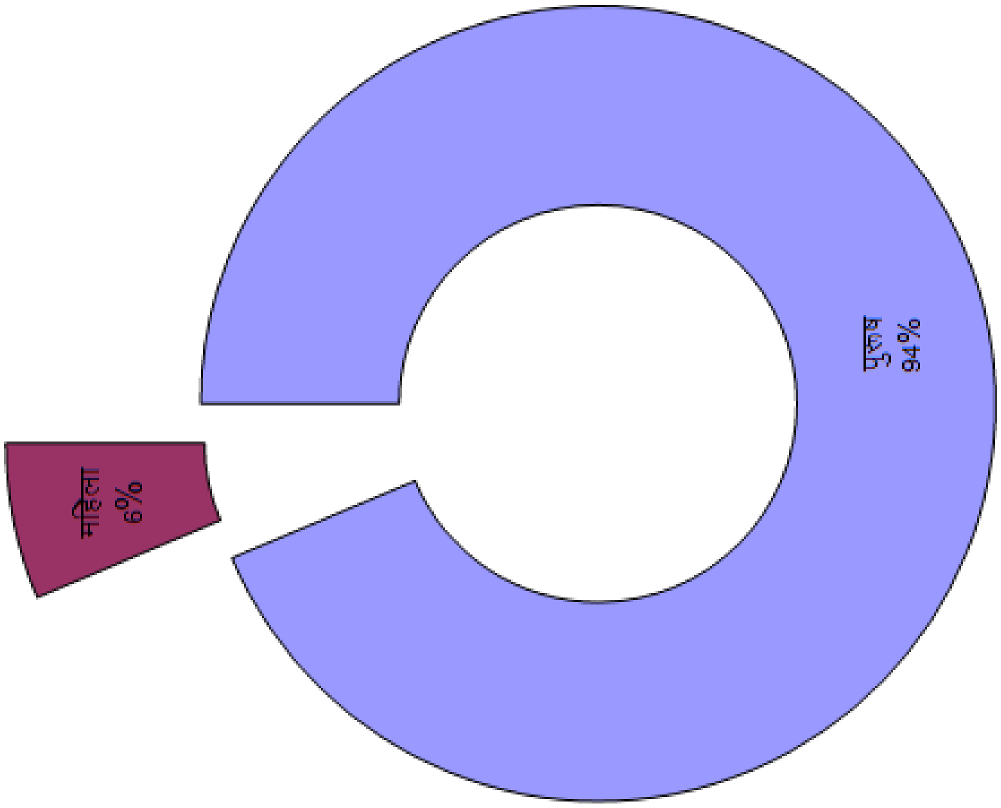

आयोग में प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (2014 – 15)

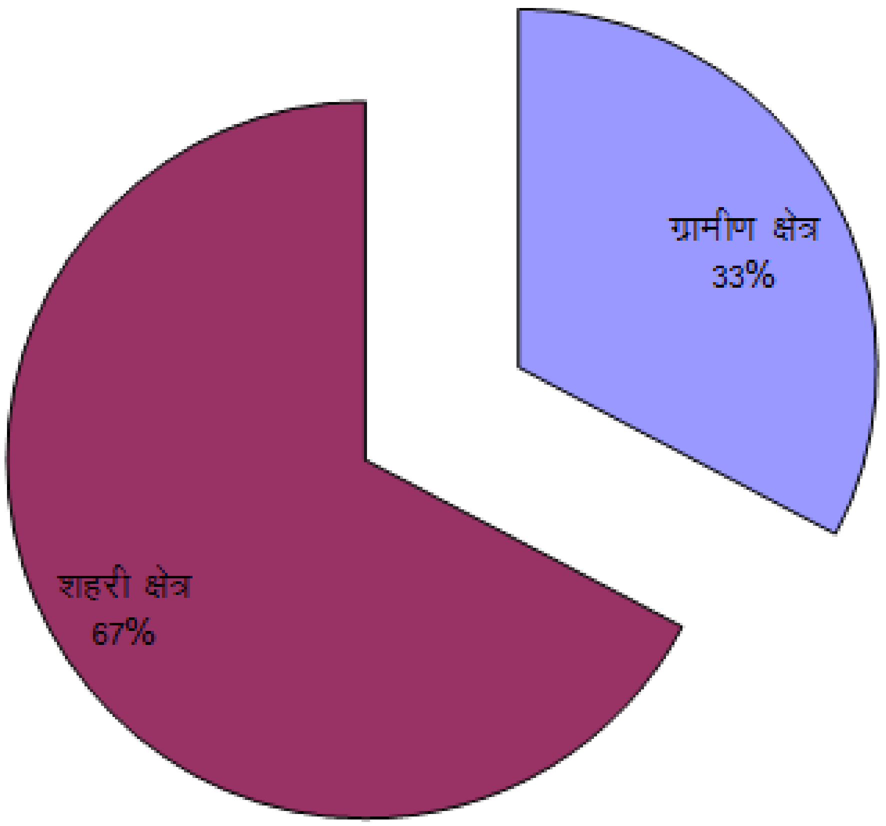

लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

वर्ष : 2014 – 15

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया — सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	2067	1453	16	262	242	0	44559													
2	पशुपालन एवं मत्स्य	356	290	0	50	43	2	9801													
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	862	827	13	64	63	1	8198													
4	नागरिक उड्डयन	32	32	0	2	2	0	638													
5	गोपन	83	74	1	3	3	0	1342													
6	सहकारिता	1615	1536	5	187	163	5	8850													
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	84	84	0	17	17	0	400													
8	डेयरी विकास	219	202	0	28	29	0	7874													
9	आपदा प्रबंधन																				
10	पेयजल	1892	1332	0	227	231	0	14920													
11	उच्च शिक्षा	3837	3797	12	246	247	1	41895												3	
12	विद्यालयी शिक्षा	14561	14012	472	1611	1576	0	95792													
13	प्राविधिक शिक्षा	1405	1399	13	108	108	25	26320					14		17			20			
14	निर्वाचन	656	651	0	25	24	1	7936													
15	ऊर्जा	1825	1319	5	176	169	0	17949													
16	राज्य सम्पत्ति	205	205	0	18	18	6	2702													
17	सैनिक कल्याण	683	683	0	61	61	0	6186													
18	आबकारी	271	275	4	14	15	0	7575													
19	वित्त	7901	7761	5	485	463	1	165802													
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2118	1990	15	189	164	1	29113													
21	वन	7596	6049	13	1361	1220	20	169310													
22	सामान्य प्रशासन	325	325	0	50	50	0	10441													
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	1843	1783	17	187	187	1	17532													
24	गृह	14054	13680	49	930	899	113	94650								1		5	1	0	22
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	684	634	0	90	81	1	9832													
26	आवास	2317	2165	0	114	96	0	60842													

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया — सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27	उद्योग	3458	3018	5	372	407	7	89055													
28	सूचना प्रौद्योगिकी	8	7	0	0	0	0	40													
29	सूचना	334	261	0	40	36	0	5949													
30	सिंचाई	2308	882	0	209	156	7	28943													
31	न्याय	109	95	0	10	8	0	2180													
32	श्रम एवं सेवायोजन	1006	835	0	103	55	0	17319													
33	चिकित्सा शिक्षा	28	28	0	3	3	0	250													
34	लघु सिंचाई	337	239	0	87	86	0	2260													
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	1272	1115	0	31	29	0	23495													
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	9	9	0	0	0	0	90													
37	कार्मिक	948	893	5	46	36	0	38595													
38	नियोजन	46	37	0	1	2	0	376													
39	प्रोटोकाल	4	2	0	0	0	0	0													
40	लोक निर्माण विभाग	2631	1598	26	286	198	0	68653													
41	धर्मस्व	0	0	0	0	0	0	0													
42	राजस्व	15324	12876	314	1722	1184	39	106262													
43	ग्राम्य विकास	112	112	0	5	5	0	1254													
44	सचिवालय प्रशासन	0	0	0	0	0	0	0													
45	समाज कल्याण	3240	2920	22	289	133	3	6840													
46	खेल	43	43	0	4	4	0	270													
47	राज्य पुनर्गठन	0	0	0	0	0	0	0													
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	575	502	3	33	37	2	5844													
49	पर्यटन	207	180	0	89	40	1	1786													
50	परिवहन	0	0	0	0	0	0	0													
51	शहरी विकास	6863	6435	0	485	453	0	97890													
52	सतर्कता	77	69	1	24	19	0	240													
53	जलागम प्रबंधन	22	17	0	2	2	0	210													
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	0	0	0	0	0	0	0													
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	79	59	0	1	1	0	330													

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
56	राजभवन	219	203	0	17	17	0	2301													
57	विधान सभा	79	79	0	7	5	0	1937													
58	उच्च न्यायालय																	5		1	
59	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जनसेवा	270	260	4	53	57	0	5239													
60	अन्य	3	3	0	0	0	0	652													
	कुल योग	**122056**	**110857**	**1050**	**11917**	**11079**	**246**	**1506732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**17**	**1**	**0**	**30**	**1**	**4**	**22**

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर
धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत
स्वः प्रकटन की स्थिति

5. लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

(i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

(iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण

(vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी.

(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ.

(viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित).

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.

(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).

(xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.

(xiii) रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथ प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.

(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम.

(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.

(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये.

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है. परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है. शासन स्तर से इन समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश

जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है. वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वेबसाईट /पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

उपरोक्त मैनुअलों को तैयार करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर लोक प्राधिकारियों को निर्गत निर्देशों के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को तैयार कर लिया गया है. प्रदेश के जिन लोक प्राधिकारियों/ विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने तैयार मैनुअल्स को डिज़िटाईज़ कर लिया गया है, उनकी सूची इस अध्याय में दी जा रही है.

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति (वर्ष 2014–15)

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों की सूची जिनके द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैनुअलों को डिजिटाईज़ कर लिया गया है

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग		
1	**कृषि विभाग**		
	1.1	कृषि निदेशालय	
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	
	1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	
		1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
		1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
		1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
		1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
		1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
		1.3.6	निमार्ण खण्ड, मण्डी परिषद
2	**पशुपालन विभाग**		
	2.1	पशुपालन निदेशालय	
		2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
		2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
		2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
		2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
		2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
		2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
		2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
		2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग
		2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
		2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
		2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
		2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
		2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
		2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
		2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार

		2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
		2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड
	2.2	मतस्य निदेशालय	
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	
3	**मुख्य मंत्री कार्यालय**		
4	**नागरिक उड्डयन**		
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय	
5	**गोपन**		
6	**सहकारिता**		
	6.1	सहकारिता निदेशालय	
7	**संस्कृति**		
	7.1	संस्कृति निदेशालय	
8	**डेयरी विकास**		
	8.1	दुग्ध आयुक्त	
9	**आपदा प्रबन्धन**		
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय	
10	**पेयजल**		
	10.1	स्वजल परियोजना	
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान	
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	
		10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी
11	**उच्च शिक्षा**		
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय	
	11.2	दून विश्वविद्यालय	
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय	
		11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
		11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
		11.3.3	डिग्री कालेज, गरूड़, जनपद बागेश्वर
	11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	
	11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	
12	**विद्यालयी शिक्षा**		
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	

		12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
		12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
		12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली
		12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली
		12.1.7	डायट, रूड़की, जनपद हरिद्वार
		12.1.8	डायट, अल्मोड़ा
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान	
13	**प्राविधिक शिक्षा**		
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय	
		13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
		13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
		13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
		13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
		13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद	
14	**निर्वाचन**		
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग	
15	**ऊर्जा**		
	15.1	उरेडा	
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
	15.3	पिटकुल	
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	
		15.4.1	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
16	**राज्य सम्पत्ति**		
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग	
17	**सैनिक कल्याण**		
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय	
		17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
18	**आबकारी विभाग**		
	18.1	आबकारी आयुक्त	
		18 1 1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी

19	**वित्त विभाग**		
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर	
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स	
		19.2.1	पिथौरागढ़
		19.2.2	चम्पावत
		19.2.3	टिहरी
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय	
	19.4	मनोरंजन कर विभाग	
		19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें	
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	
		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी
20	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**		
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग	
21	**वन**		
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड	
		21.1.1	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म
		21.1.2	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट
		21.1.3	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ
		21.1.4	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.5	वन संरक्षक दक्षिणी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.6	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून
		21.1.7	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती
		21.1.8	वन संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फेयर रिज़र्व, गोपेश्वर
		21.1.9	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी
		21.1.10	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
		21.1.11	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर
		21.1.12	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत
		21.1.13	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा
		21.1.14	प्रभागीय वन अधिकारी, टौंस
		21.1.15	प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय, हल्द्वानी
		21.1.16	प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल
		21.1.17	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण, उत्तरकाशी
		21.1.18	प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी
		21.1.19	उप वन संरक्षक, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ

	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क		
	21.3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व		
22	**सामान्य प्रशासन विभाग**			
23	**चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**			
	23.1			
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी	
		23.1.2	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर	
		23.1.3	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	
			23.1.3.1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलकाण्डा
			23.1.3.2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल
			23.1.3.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैलपड़ाव
			23.1.3.4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी
			23.1.3.5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटाबाग
			23.1.3.6	बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी
		23.1.4	मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली	
		23.1.5	मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत	
		23.1.6	मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	
		23.1.7	मुख्य चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर	
		23.1.8		
			23.1.8.1	वि.मो.जो. जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा		
24	**गृह**			
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस		
		24.1.1	जनपद बागेश्वर	
		24.1.2	जनपद टिहरी	
		24.1.3	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.4	जनपद देहरादून	
		24.1.5	जनपद हरिद्वार	
		24.1.6	जनपद चम्पावत	
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा	
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़	
		24.1.9	जनपद पौड़ी	
		24.1.10	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर	
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		

	24.3	होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय	
	24.4	अभियोजन निदेशालय	
25	**उद्यान एवं रेशम**		
	25.1	उद्यान निदेशालय	
		25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी
		25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली
		25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून
		25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी
		25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार
	25.2	रेशम निदेशालय	
	25.3	भेषज विकास इकाई	
	25.4	चाय विकास बोर्ड	
26	**आवास**		
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास	
	26.4	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
27	**उद्योग**		
	27.1	उद्योग निदेशालय	
		27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
		27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
28	**सूचना प्रोद्यौगिकी**		
	28.1	आई.टी.डी.ए.	
	28.1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	
29	**सूचना एवं लोक संपर्क**		
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय	
30	**सिंचाई**		
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)	
		30.1.1	अधिशासी अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2	पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना	
31	**न्याय**		
	31.1	न्याय विभाग	
	31.2	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	
	31 3	महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड	

32	**श्रम एवं सेवायोजन**		
	32.1	श्रम आयुक्त	
	32.2	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	
		32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
33	**चिकित्सा शिक्षा**		
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय	
		33.1.1	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
		33.1.2	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	33.2		
		33.2.1	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
		33.2.2	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
		33.2.3	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
		33.2.4	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार
34	**लघु सिंचाई**		
	34.1	लघु सिंचाई विभागाध्यक्ष कार्यालय	
		34.1.1	अधीक्षण अभियंता, बागेश्वर
35	**पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण**		
	35.1	पंचायती राज निदेशालय	
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
		35.2.2	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बागेश्वर
36	**विधायी**		
	36.1	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग	
37	**कार्मिक**		
	37.1	कार्मिक विभाग	
	37.2	लोक सेवा अधिकरण	
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	
38	**नियोजन**		
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण	
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय	
39	**प्रोटोकॉल**		
	39.1	प्रोटोकॉल	

40	**लोक निर्माण विभाग**			
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर		
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)		
		40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.3	अस्थाई खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी	
		40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी	
		40.2.5	अस्थाई खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी	
		40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून	
41	**धर्मस्व**			
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति		
42	**राजस्व**			
	42.1	राजस्व पुलिस		
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **		
		42.2.1	आयुक्त, कुमांऊ मण्डल	
		42.2.2	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	
		42.2.3	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	
		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी	
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी	
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा	
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून **	
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली	
		42.2.11	जिलाधिकारी, हरिद्वार	
		42.2.12	जिलाधिकारी, बागेश्वर	
		42.2.13	जिलाधिकारी, चम्पावत	
		42.2.14	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर	
		42.2.15	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार	
43	**ग्राम्य विकास**			
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **		
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़	
			43.1.2.1	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट

			43.1.2.2	खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर	
			43.1.3.1	खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट
		43.1.4	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत	
			43.1.4.1	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.2	खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5	खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैंण	
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान		
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी		
44	**सचिवालय प्रशासन**			
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग		
45	**समाज कल्याण**			
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय		
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर		
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग		
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग		
	45.4	उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड		
46	**खेल**			
	46.1	खेल निदेशालय		
		46.1.1	जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधम सिंह नगर	
47	**पुनर्गठन**			
48	**गन्ना एवं चीनी**			
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी		
49	**पर्यटन**			
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम		
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम		
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद		
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान		
50	**परिवहन**			
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम		
51	**शहरी विकास**			
	51.1	शहरी विकास निदेशालय		

		50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी
		50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
		50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा
		50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
		50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा
		50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
		50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर
		50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
		50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
		50.1.10	नगर पालिका परिषद, मंगलौर
		50.1.11	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग
52	**सतर्कता**		
	52.1	सतर्कता ब्यूरो	
53	**जलागम**		
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय	
54	**महिला एवं बाल विकास**		
	54.1	राज्य महिला आयोग	
55	**युवा कल्याण**		
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय	
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी	
56	**राजभवन**		
	56.1	राजभवन	
57	**विधान सभा**		
	57.1	विधान सभा	
58	**उच्च न्यायालय**		
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड	
	58.2	महाधिवक्ता कार्यालय	

*** अभिलेखों को पुनः टंकित न करा, उन्हें मात्र स्कैन कर मैनुअल तैयार किये गये हैं.*

आयोग के
अंगीकृत संकल्प

6. आयोग के अंगीकृत संकल्प

दिनॉक 19/06/2014 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त :—

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल,	—	मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल,	—	राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा,	—	राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल,	—	राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राजेन्द्र कोटियाल,	—	राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	—	राज्य सूचना आयुक्त,
7. श्री नरेन्द्र क्वीरियाल,	—	सचिव,
8. श्री त्रेपन्न सिंह बिष्ट	—	विधि अधिकारी,

श्री रमेश कुमार मुमुक्षु, आर. टी. आई. कार्यकर्ता द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया था कि आयोग स्पीड पोस्ट पंजीकृत पत्र या दस्ती प्राप्त पत्रों को ही स्वीकार्य करें तथा सूचना अधिकार के मामलों में सभी लोक प्राधिकारियों/विभागों को, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट एवं दस्ती द्वारा ही डाक भेजने तथा डाक चालान नं0 एवं प्राप्ति की दिनॉक को अनिवार्य रूप से अंकित कर इसका उल्लेख किया जाए।

2. आयोग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस तरह के मामलों में द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी ने संबंधित पक्षों को सूचना कैसें भेजी उसकी पृष्टि आयोग द्वारा की जाए। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में आयोग द्वारा किसी पक्ष या प्राधिकारी को विशिष्ट आदेश या कार्यवाही हेतु लिखा जाता है उनमें केवल उन्ही संबंधित पक्ष/प्राधिकारी को ही आयोग स्तर से आदेश पत्र भेजा जाए, ताकि अनावश्यक डाक खर्चे से बचा जा सकें।

3. मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा एक मामले में एक ही विभाग द्वारा कई लोक प्राधिकारियों को नामित करा लिये जाने पर की गई पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि वाणिज्य कर विभाग के सचल दल इकाई अपने आप में लोक प्राधिकारी नही हो सकते है, वे कही न कही किसी सक्षम लोक प्राधिकारी से सम्बद्ध होंगें। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से इसकी पुष्टि कर लिया जाना उचित होगा। सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग इस सम्बन्ध में शासन से पत्राचार कर सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग जो निर्धारित प्रारुप में की जाती है उसके नीचे उनके द्वारा संतुष्टि न होने की स्थिति में अपील करने का एवं अपीलीय अधिकारी के नाम का उल्लेख नही किया जाता है। इस सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी को निर्देश जारी कर दिया जाए कि भविष्य में जिस भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाती है उसके द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता भी अंकित करें। सचिव इस सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारियों को प्रारुप की प्रति आवश्यक कार्यबाही हेतु पत्र प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

5. आयोग के आवासीय कालोनी हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि इस सम्बन्ध में मा0 आयुक्तों के आवासीय भवन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल एवं स्टाफ के अधिकारी/कर्मचारी हेतु भूखण्ड /क्षेत्रफल का आंकलन कर इस सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत राज्य सूचना आयुक्त	श्री राजेन्द्र कोटियाल राज्य सूचना आयुक्त	प्रभात डबराल राज्य सूचना आयुक्त	अनिल कुमार शर्मा राज्य सूचना आयुक्त	विनोद नौटियाल राज्य सूचना आयुक्त	नृप सिंह नपलच्याल मुख्य सूचना आयुक्त

23/6/14

दिनॉक 19/11/2014 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, की अध्यक्षता में आहूत आन्तरिक बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल, – मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल, – राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, – राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल, – राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राजेन्द्र कोटियाल, – राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत – राज्य सूचना आयुक्त,
7. श्री नरेन्द्र क्वीरियाल, – सचिव,
8. श्री त्रेपन सिंह बिष्ट – विधि अधिकारी,

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनॉक 06/12/2014 को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सभी पीठों में दिनॉक 06/12/2014 को शनिवार के दिन प्रातः 11.00 बजे से नियत वादो की सुनवाई की जायेगी, तथा इन वादों की सूची यथा निर्देशानुसार दिनॉक 29/11/2014 तक राज्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल, को फैक्स व ई मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

2. उत्तराखण्ड राज्य के सहकारिता विभाग, के अधीन को–ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लि0, जिला सहकारी बैक तथा सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने या न आने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। सम्यक विचारोपरान्त आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य के अधीन सहकारी समितियों जो उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत साधन सहकारी समितियॉ, सहकारी चीनी मिल्स तथा जिला सहकारी बैक के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक संस्था/समिति के दायित्व/शक्तियां तथा terms and conditions भिन्न–भिन्न होने के कारण उपरोक्त सभी संस्थाओं/समितियों को सूचना का अधिकार अधिनियम से आच्छादित होने या न होने के सम्बन्ध में कोई "स्ट्रेट जैकेट" फार्मूला (Straight Jacket) नही अपनाया जा सकता है। अतः प्रत्येक ऐसी सहकारी संस्था/सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जो द्वितीय अपील/शिकायत आयोग को प्राप्त होगी के सम्बन्ध में पृथक–पृथक रूप से गुण दोष के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3. उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के नियम 7 (क) में वर्तमान नियमावली में–यह व्यवस्था है कि, **"7 (क) – नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोधकर्ता को यथा सम्भव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जायेगा"**। जबकि नियमावली में अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में नियम 6 के (ख) व (ग) में व्यवस्था दी गई है, तथा नियम 5 के (ख) व (ग) में आवेदन शुल्क के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है। नियम 7 (क) अतिरिक्त शुल्क के लिए बनाया गया है इसलिए नियम 7 (क) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाना आवश्यक है :–

7 (क)–नियम 6 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोधकर्ता को यथा सम्भव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जायेगा।

7(a)- the applicant, as far as possible, shall be informed about the additional fees mentioned in clause (b) And (c) of rules 6 within a week from the date of reeipt of application.

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को नियमावली में उक्तानुसार संशोधित किये जाने हेतु लिखा जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत
राज्य सूचना आयुक्त

श्री राजेन्द्र कोटियाल
राज्य सूचना आयुक्त

प्रभात डबराल
राज्य सूचना आयुक्त,

अनिल कुमार शर्मा
राज्य सूचना आयुक्त

विनोद नौटियाल
राज्य सूचना आयुक्त

नृप सिंह नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

20/11/14.

आयोग की संस्तुतिया

7. आयोग की संस्तुतिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के द्वारा सफल क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियां यथोचित परीक्षणोपरान्त क्रियान्वयन हेतु प्रेषित की जा रही हैं.

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के द्वारा राज्य सूचना आयोग को अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व प्रदत्त है. इसी क्रम में आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण के दौरान अनेकों वादों में आयोग द्वारा सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, तथा ऐसे लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अनुपालन की कार्यवाही पूर्ण कर आयोग को भी अवगत करायें.

विगत वर्षों में आयोग स्तर से उक्त धारा 25(5) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों को प्रेषित निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि अधिकतर प्रकरणों में लोक प्राधिकारियों के द्वारा आयोग के निर्देशों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही पूर्ण करते हुये अपनी अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की जा रही है.

धारा 25(5) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रत्येक ऐसे प्रकरण को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर एक अनुश्रवण पंजिका में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें नीचे दिये गये 8 स्तम्भ बनाये जाने आवश्यक होंगे

आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से सभी लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

क्र.	कार्यालय में प्राप्ति का दिनांक	आयोग की अपील/शिकायत संख्या तथा आयोग के आदेश का दिनांक	अपीलकर्ता/शिकायत कर्ता तथा प्रतिवादियों/प्रतिपक्षियों का विवरण	आयोग द्वारा निर्दिष्ट धारा 25(5) के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही. (आयोग के आदेश के सम्बन्धित प्रस्तर को अक्षरशः दिया जाये)	लोक प्राधिकारी के स्तर से की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण एवं दिनांक	आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषण का विवरण (पत्रांक/दिनांक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

संस्तुति : 2

प्रायः प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा या तो प्रथम अपील की प्राप्ति पर आवेदक और लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का नोटिस प्रेषित नहीं किया जाता है अथवा नोटिस समय से प्रेषित नहीं किया जाता है, या नियमानुसार प्रथम अपील की एक तिथि नियत कर दोनों पक्षों के जाने बिना सीधे लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने हेतु आदेशित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सही नहीं है.

प्रथम अपील की प्राप्ति पर समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सुनवाई हेतु तिथि नियत किया जाना चाहिए. इसके उपरान्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना डाक/ई–मेल के माध्यम से अपीलकर्ता एवं सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को दी जानी चाहिए. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्षों को प्रथम अपील की सुनवाई तिथि की सूचना दोनों पक्षों को ससमय उपलब्ध करा दी गई है।

अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

संस्तुति : 3

आयोग द्वारा विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की मांग आवेदक से किए जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के दौरान अपीलकर्ता को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराए जाने के आदेश निर्गत कर दिए जाते हैं. यह प्रक्रिया सही नहीं है.

सूचना का अधिकार अधिनिमय की धारा–7 की उप धारा–6 के अन्तर्गत यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं तब प्रथम अपील की सुनवायी / निस्तारण के दौरान अनुरोधकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना / अभिलेख निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए. परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए आवेदक को यदि नोटिस निर्गत कर यथोचित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए अनुरोध किया गया हो और आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया हो, तब उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स–शुल्क सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए.

अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

संस्तुति : 4

विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी के दौरान आयोग के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई का नोटिस निर्गत किए जाने के उपरान्त प्रथम अपील की सुनवायी की नियत तिथि पर अपीलकर्ता के उपस्थित न होने पर दो या दो से अधिक तिथि मात्र इसी कारण से दे दी जाती है कि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हैं, जोकि उचित नहीं है.

अपीलकर्ता को प्रथम अपील की सुनवाई की तिथि की सूचना दे देने के उपरान्त भी अपीलकर्ता के उपस्थित न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अन्य अवसर चाहने की स्थिति को छोड़कर, प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील की सुनवाई की जानी चाहिए. सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावली की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को प्रत्येक अनुमन्य / उचित सूचना / अभिलेख सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रदान करते हुए सूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धाराओं के प्राविधानों के अधीन निस्तारण कर दिया गया है. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से इतर अपनी सहमति / असहमति को लिखित रूप में, कि किन बिन्दुओं पर असहमति है, कारण बताते हुए इंगित किया जाना चाहिए.

अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

संस्तुति : 5

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय / विभाग द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है. इसी क्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्तर पर भी लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है. आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य सामने आया है कि वन विभाग में विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जा गया है जबकि अनुरोधकर्ताओं को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को संबंधित वन प्रभाग अथवा कार्यालय के उच्च स्तरों से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा उच्च स्तर से धारित सूचना लेने हेतु अनुमोदन लेना होता है. इससे जहां एक ओर इस प्रक्रिया में समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयांतर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है.

अतः आयोग की संस्तुति है कि शासन द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लेते हुये प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों / विभागों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक विभाग के द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी ऐसे विभागीय स्तर के अधिकारी हों जिनकी विभागीय अभिलेखों तक सरलता से पहुंच हो तथा जो आवेदनकर्ताओं को न्यूनतम समय के अंतर्गन वांछित सूचना उपलब्ध करा सकें.

आयोग द्वारा निर्गत
महत्वपूर्ण निर्देश

४. आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश

प्रदेश के लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर शासन तथा लोक प्राधिकारियों को यथोचित निर्देश पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं.

अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आयोग द्वारा अपनी कार्य पद्धति के संबंध में भी समय–समय पर कार्यालय आदेश निर्गत किये जाते हैं.

वर्ष 2014–15 में आयोग स्तर से निर्गत ऐसे कुछ निर्देशों को इस अध्याय में संकलित किया गया है.

सूचना का अधिकार

पत्रांक : 7009 /उ.सू.आ./2014–15
दिनांक : 09/2014

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्राविधानों के क्रियान्वयन में लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर आ रही निम्न कठिनाईओं का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें –

1. सूचना आयुक्तों द्वारा जनपदों में लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों से हुई चर्चा एवं कार्य अनुभव के आधार पर बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्राचार किए जाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। डाक टिकट हेतु पर्याप्त धनराशि न होने के कारण लोक सूचना अधिकारी के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों को समयान्तर्गत अंतरित करने/ अतिरिक्त सूचना शुल्क की मांग करने/आवेदक को सूचना प्रेषित करने तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के स्तर से प्राप्त प्रथम अपीलीय पत्रों पर प्रथम अपीलीय की सुनवाई हेतु नोटिस प्रेषित करने और प्रथम अपील के निस्तारण आदेश की प्रति प्रेषित करने में कठिनाई हो रही है। इस हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर अग्रेतर पत्राचार हेतु पृथक से मानक मद का सृजन करके संबंधितों को धनावंटन किये जाने पर ही सूचना का अधिकार के अन्तर्गत पत्राचार में सुविधा होगी। कृपया इस संदर्भ में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. राजस्व विभाग में लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित पटवारियों/लेखपालों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित राजस्व निरीक्षकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्राचार किए जाने हेतु उनको कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस कारण उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कठिनाई हो रही है। ग्राम्य विकास विभाग में प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्राचार किए जाने हेतु उन्हें कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उनकी स्वयं की आय नहीं है जिससे उक्त व्यय वहन किया जा सके। कृपया इस संदर्भ में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा की जाने वाली समीक्षा बैठकों में लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों एवं लोक सेवकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का उचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने और अधिनियम से संबंधित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग से अनुरोध किया जाता रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26 के प्राविधानों के तहत लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण के साथ–साथ नियमित रूप से मार्गदर्शिका और अधिनियम से संबंधित उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करते हुए, प्रतिवर्ष इस कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को समुचित बजट का प्राविधान करने का कष्ट करें।

4. कतिपय विभागाध्यक्षों के कार्यालय में नामित लोक सूचना अधिकारियों या उच्च अधिकारियों के कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु अन्तरित कर दिया जाता है, जबकि वांछित सूचना विभागाध्यक्ष या उच्च अधिकारियों के कार्यालय में धारित होती है। इस कृत्य से अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारी भ्रमित हो जाते है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उचित न होने के कारण इस सम्बन्ध में लोक प्राधिकारियों को अपने लोक सूचना अधिकारियों से ऐसा न किए जाने हेतु निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें। यह भी निर्देश निर्गत होना आवश्यक है कि आवेदन पत्र अंतरित किया जाना यदि आवश्यक है, तब आवेदन पत्र का संबंधित बिन्दु जिसकी सूचना अधिनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जाना अपेक्षित है, का स्पष्ट उल्लेख अंतरण पत्र में होना चाहिए।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन में लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आ रही उपरोक्त कठिनाईओं का उचित निराकरण तथा लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को पत्र व्यवहार के लिए पर्याप्त धनराशि व प्रशिक्षण की कार्यवाही हेतु धनावंटन हेतु अपने स्तर से अतिशीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करने का कष्ट करें।

उपरोक्त कठिनाईओं के निराकरण में आयोग भी यथोचित सहयोग प्रदान करेगा।

भवनिष्ठ,

एन0 एस0 नपलच्याल

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,

एन.एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास
रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675778, 2675779
http://uic.gov.in

पत्रांक : 9671 / उ.सू.आ. / 2014–15
दिनांक : 11 / 2014

प्रिय

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी हेतु वर्तमान में प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों से अपीलकर्ताओं तथा लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है. बहुत से अवसरों पर देहरादून आवागमन में होने वाली शारीरिक एवं आर्थिक कठिनाईयों के कारण अपीलकर्ता आयोग में सुनवायी हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं.

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा विगत समय से अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया जा रहा है. वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से सुनवायी प्रारम्भ होने से जहां एक ओर अपीलकर्ताओं को अपने जनपद मुख्यालय में ही सुनवायी में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों को भी अपने कार्य स्थल के निकटस्थ एन.आई.सी. केन्द्र से ही आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी.

3. अतः इस सम्बन्ध में आपसे हुयी वार्ता के क्रम में आयोग कार्यालय तथा प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में स्थित एन.आई.सी. केन्द्रों के मध्य वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवायी प्रारम्भ किये जाने के लिए आयोग कार्यालय में वांछित उपकरणों, बैण्डविड्थ आदि की व्यवस्था करने के लिए कृपया शासन स्तर से यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

एन. एस. नपलच्याल

श्री दीपक कुमार गैरोला
सचिव
सूचना प्रोद्यौगिकी
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

महत्वपूर्ण

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 13666 / उ.सू.आ. / 2014–15 दिनांक : 27 / 12 / 2014

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
2. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
3. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड**
5. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
6. **समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
7. **कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड**

विषय : लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण पत्रों में अपने नाम, पदनाम आदि का विवरण दिये जाने विषयक.

महोदय / महोदया,

आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों का निस्तारण करते समय अनुरोधकर्ताओं को प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में मात्र 'लोक सूचना अधिकारी'' लिखते हुये हस्ताक्षर किये जाते हैं. इसी प्रकार अधिकांश प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण आदेशों में मात्र 'अपीलीय अधिकारी'' लिखते हुये हस्ताक्षर किये जाते हैं. यह प्रक्रिया सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अनियमित है, तथा ऐसा करने से अनुरोधकर्ताओं / अपीलकर्ताओं में लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, विभागीय पदनाम आदि जानकारी के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति बनी रहती है. इसके अतिरिक्त आयोग में द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी के समय सही अधिकारी को इंगित किये जाने में भी कठिनाई होती है.

2. इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों का निस्तारण करते समय सम्बन्धित पत्र / आदेश में अपना नाम, विभागीय मौलिक पदनाम, दूरभाष / मोबाईल संख्या तथा ई–मेल की पूर्ण जानकारी अवश्य दी जाये. लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवायी के समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले लिखित अभिकथन / स्पष्टीकरण में भी उक्त जानकारी दी जानी आवश्यक है.

3. कृपया अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्त दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों को शासन स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

महत्वपूर्ण/आवश्यक

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 — 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 2872/उ.सू.आ./2014—15 दिनांक : 06 जनवरी, 2015

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
2. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
3- **मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल**
4- **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड**
5- **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
6- **समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
7. **कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड**

विषय : अतिरिक्त शुल्क की मांग के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवायी किये जाने विषयक-

महोदय/महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की मांग किये जाने पर अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 3 के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता को सूचना की छायाप्रति आदि तैयार करने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क का नोटिस दिये जाने का प्राविधान है जिसमें लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि इस अतिरिक्त शुल्क के नोटिस में उनके द्वारा अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष बिन्दुवार सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क की गणना कर उसे जमा कराने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को सूचित किया जाये. ऐसे सूचित किये गये अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध अपील करने का अधिकार अनुरोधकर्ता को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3(ख) के अन्तर्गत प्राप्त है.

2. आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त अतिरिक्त शुल्क की सही गणना नहीं की गयी होती है, तथा उनके द्वारा अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध अपील करने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित जानकारी भी नहीं दी जाती है. यह प्रक्रिया सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुकूल नहीं है.

3. प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोधकर्ताओं को दिये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क के नोटिस के अन्त में, नोटिस के विरूद्ध प्रथम अपील किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूरा नाम, विभागीय मौलिक पदनाम, दूरभाष संख्या तथा ई—मेल की जानकारी दिया जाना आवश्यक है.

4. कृपया अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों को उपरोक्त दी गयी व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों को शासन स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

आयोग द्वारा
द्वितीय अपीलों / शिकायतों में
आरोपित शास्तियां

शिकायत /अपील संख्या	निर्णीत दिनांक	वर्ष	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	जिला	विभाग	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक	शास्ति/वसूली/कटौती सम्बन्धी
A-13441	08.04.2014	2014	श्री कालीचरन सहायक अध्यापक, धनीराम इण्टर कालेज दमखोदा बरेली उत्तर प्रदेश लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधम सिंह नगर	शिक्षा	25000.00	0.00			
A-13607	21.04.2014	2014	श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मलखान सिंह, ग्राम इक्कड कलॉ पोस्ट अम्बूवाला पथरी जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भगतनपुर आबिदपुर विकास खण्ड बहादराबाद, जिला हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सिरचन्दी विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	5000.00	0.00			
A-13728	22.04.2014	2014	मौ0 अनीस पुत्र श्री मो0 युनुस, ग्राम व पोस्ट सिरचन्दी ब्लाक व थाना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी/प्रधान, सिरचन्दी विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी भगवानपुर जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	टिहरी	लोक निर्माण	10,000.00	0.00			चालन संख्या 116 दिनांक 23 जून 2014 द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-13692	24.04.2014	2014	श्री एल0पी0 बडोनी, एडवोकेट चम्बर नम्बर–14, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्ति नगर जिला टिहरी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	हरिद्वार	राजस्व	10,000.00	0.00			

A-13692	24.04.2014	2014	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चौहाल सिंह ग्राम इबराहिम पुर देह पोस्ट सालियर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/हल्का लेखपाल ग्राम इब्राहिमपुर देह सालियर परगना भगवानपुर द्वारा तहसीलदार रूडकी जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	राजस्व	25000.00	0.00			
A-12919	01.05.2014	2014	श्री जगतबंधु सिंह रावत, निरंजनबाग, पी0एन0बी0 के समीप, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल – 246174 लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पौडी गढवाल विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड/महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून	लोक प्राधिकारी महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	देहरादून	शिक्षा	5000.00	0.00			
A-13752	21.04.2014	2014	श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष, जन संघर्ष मोर्चा, उत्तराखण्ड अस्पताल रोड विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/भूतत्व एवं खनिकम इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/भूतत्व एवं खनिकम इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून/समतुल्य लोक सूचना अधिकारी मुख्य ,खान अधिकारी तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून	समतुल्य लोक सूचना अधिकारी मुख्य ,खान अधिकारी तराखण्ड ग्राम भोपालपानी, पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून		10000.00	0.00			

A-13739	23.04.2014	2014	श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मलखान सिंह, ग्राम इक्कड कलॉ पोस्ट अम्बूवाला पथरी जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भगतनपुर आबिदपुर विकासखण्ड बहादराबाद, जिला हरिद्वार, विभागीय अपीलीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भगतनपुर आबिदपुर विकासखण्ड बहादराबाद, जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	5000.00	0.00			
A-13846	22.04.2014	2014	श्री कुंवर पाल सिंह पूर्व सैनिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम रूहालकी दयालपुर, पोस्ट भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड रूडकी ग्रामीण जिला हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूडकी ग्रामीण जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड रूडकी ग्रामीण जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	हरिद्वार	ऊर्जा	5000.00	0.00			पत्रांक संख्या 4355/आर0टी0आई0/2015 के चालान संख्या/दिनांक 18.05.2014 के द्वारा 5000 रूपये की शास्ति आरोपित कर दी गयी है।
A-13272	23.04.2014	2014	श्री लख्ते हसनैन रिजवी, एडवोकेट द्वारा 0346 / 121–15, कर्बला अजमतुदौला बहादर परिषर महन्दीगंज लखनऊ लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार पर 10000–10000 हजार रूपये की शास्ति ओरोपित किया गया है।	हरिद्वार	शिक्षा	20000.00	0.00			

A-13304	17.04.2014	2014	श्री पुरूषोत्तम दत्त कण्डवाल, अधिवक्ता सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने कचहरी परिसर देहरादून लोक सूचना अधिकारी/उप नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/उप नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	देहरादून	नगर विकास	5000.00	0.00			
A-13749	28.04.2014	2014	श्री बाबू राम सैनी एडवाकेट चैम्बर नम्बर–17, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मांडबेला, विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/प्रधा/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मांडबेला, विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड /सहायक लेखाधिकारी पर 5000–5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	10000.00	0.00			
A-13748	11.03.2014	2014	श्री अनिल सिंह भरार, बी–343 निहरू विहार तिमारपुर नई दिल्ली–110054 लोक सूचना अधिकारी/कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी/कुल सचिव, कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी/उप कुल सचिव कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	नैनीताल	उच्च शिक्षा	25000.00	0.00			

A-13978	25.04.2017	2014	श्री बालक राम बिजल्वाण, ग्राम एवं पोस्ट चिल्हाड, तहसील त्यूनी, विकास खण्ड चकराता, देहरादून लोक सूचना अधिकारी/ निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार (मुख्यालय कालसी) विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार (मुख्यालय कालसी)	लोक सूचना अधिकारी/निमाण खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार (मुख्यालय कालसी) पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	लोक निर्माण	5000.00	0.00			माह 7/2014 के वेतन से रू 5000 हजार रूपये की वसूली कर ली गयी है
C-8686	01.04.2014	2014	श्री ब्रजपाल पुत्र श्री काला सिंह ग्राम ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर थाना कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/कलेक्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	राजस्व	25000.00	0.00			
A-14243	13.05.2014	2014	श्री नरेश कुमार तोमर,ग्राम पपडियांन पोस्ट कटापत्थर, वाया डाकपत्थर देंहरादून , लोक सूचना अधिकारी/ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकास भवन देहरादून, विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकास भवन देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	ग्राम्य विकास	25000.00	0.00			
A-14345	22.05.2014	2014	डा0 सुकेश शर्मा, प्रकाशक/प्रधान सम्पादक, देश दुलारा लेन नम्बर–सी–13, टर्नर रोड निकट ओगल भट्टा देहरादून उत्तराखण्ड बनाम लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी चन्दर रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी चन्दर रोड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	चिकित्सा	5000.00	0.00			चालान संख्या 325 दिनांक 18 मार्च 2015 के द्वारा जामा कर लिया गया है।

A-14127	20.05.2014	2014	श्री भारत सिंह नेगी, भारत भवन बिष्ट कालोनी निकट ईसाई अस्पताल शिब्बूनगर कोटद्वार गढ़वाल, लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला पौड़ी गढ़वाल वि0अ0अधि0 मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढ़वाल	शिक्षा	5000.00	0.00			
A-13954	22.05.2014	2014	श्री जय प्रकाश रतूड़ी, ग्राम जिया दमराड़ा, पोस्ट चाम दमराड़ा, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, लैन्सडौन कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड वि0अपि0अधि0 वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, लैन्सडौन कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढ़वाल	वन	5000.00	0.00			
A-13963	26.05.2014	2014	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक, ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट हरिद्वार उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ, उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पिथौरागढ़	उद्यान	5000.00	0.00			चालान संख्या 15 दिनांक 12 सितम्बर 2014 के द्वारा 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित कर दी गयी है ।

A-13962	26.05.2014	2014	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक,ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट हरिद्वार उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की सांकेतिक शास्ति आरोपित किया गया है।	टिहरी	उद्यान	5000.00	0.00			कार्यवाही गतिमान है।
A-14355	28.05.2014	2014	श्री शादब अहमद पुत्र श्री खुर्शीद अहमद,एल0आई0यू0 कार्यालय, थाना सहसपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास नगर देहरादून, विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास नगर देहरादून पर 5000 रूपय की शास्ति आरोपित की गयी है	देहरादून	चिकित्सा	5000.00	0.00			
A-12911	19.05.2014	2014	हाजी सनाउल्लाह खान, ग्राम एवं पोस्ट मरगूबपुर रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरिद्वार उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	शिक्षा	5000.00	0.00			

A-14070	19.05.2014	2014	श्री उदय नारायण तिवाड़ी, मुख्य सम्पादक अपनी बागवानी साप्ताहिक समाचार पत्र, कोटी विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला जौलीग्रान्ट देहरादून, लोक सूचना अधिकारी/नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	आवास	5000.00	0.00			
A-12374	28.05.2014	2014	श्री राजेश नेगी पुत्र श्री पान सिंह नेगी, आर.के. टेन्ट हाउस रोड मानस विहार कुसुमखेड़ा, जिला नैनीताल वनाम, लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला अधिकारी नैनीताल, कार्यालय, प्रभारी उत्तराखण्ड स्टेट फुॅटबाल एशोसिएसन, मकान नम्बर–8–336/3 ई. हीरा नगर हल्द्वानी जिला नैनीताल	सहायक निदेशक, खेल, कुमायूं मण्डल हल्द्वानी जिला नैनीताल पर 10,000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी	नैनीताल	खेल	10000.00	0.00			

A-13259	29.05.2014	2014	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री तिलक राम,सतगुरू श्रेष्ठ ग्रामोद्योग, ग्राम नन्हेडा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार – 247668 बनाम, लोक सूचना अधिकारी/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 गढ़वाल क्षेत्र देहरादून अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 रूड़की वि0अ0अधि0/मुख्य अभियन्ता (वितरण) उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 गढ़वाल क्षेत्र 120 हरिद्वार रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 गढ़वाल क्षेत्र देहरादून/ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 रूड़की पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	देहरादून	उर्जा	10000.00	0.00			
A-13979	29.05.2014	2014	श्री बी0एन0 नौटियाल, सेवानिवृत्त प्र0 अधिकारी वार्ड नम्बर–3, ज्ञानसू उत्तरकाशी, लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी उत्तराखण्ड, विभागीय अपीलीय अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी उत्तराखण्ड, विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक प्राधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी उत्तरकाशी पर 1000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाता है।	उत्तर काशी	लोक निर्माण	0.00	1000.00			पत्रांक संख्या 1480/ लो0सुअ0 दिनांक 30.6. 2014 के द्वारा 1000 हजार रूपये की शास्ति जमा कर दी गयी है।
A-14378	09.06.2014	2014	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह नि0म0सं0 456/7, राजेन्द्र नगर रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त (प्रर्वतन) वाणिज्य कर हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी/ संयुंक्त आयुक्त वि0अनु0शा0 वाणिज्य कर गढ़वाल जोन हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त (प्रर्वतन) वाणिज्य कर हरिद्वार पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	वाणिज्य कर	10000.00	0.00			

A-14085	03.06.2014	2014	श्री एल0पी0 थपलियाल, 61 आदर्श विहार कारगी रोड देहरूदन उत्तराखण्ड वनाम लोक सूचना अधिकारी/ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण टासपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण टासपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण टासपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	5000.00	0.00			
C-9052	11.06.2014	2014	श्री सुन्दर सिंह गुसाई, निवासी –14 बीघा, मुनि की रेती जनपद टिहरी गर्ढ़वाल उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड,	लोक सूचना अधिकारी/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 2500 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	टिहरी	सैनिक कल्याण	2500.00				चालान संख्या 00106 दिनांक 4 अगस्त 2014 के द्वारा अनुपालन कर दिया गया है।
A-14426		2014	श्री देवी दत्त बिष्ट, ग्राम व पोस्ट पाण्डेकोटा, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा राजस्व उप निरीक्षक, तिमिला, तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा राजस्व निरीक्षक, तिमिला रानीखेत जिला अल्मोड़ा	राजस्व उप निरीक्षक, तिमिला, तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	अल्मोड़ा	राजस्व	10000.00	0.00			जनवरी 2015 के वेतन से प्रथम किस्त के रूप में रू0 5000 हजार की वसूली कर ली गयी है।
A-14392	12.06.2014	2014	श्री पुरूषोत्तम दत्त कण्डवाल, ग्राम व पोस्ट मराल, वाया स्वर्गाश्रम, जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	पौड़ी गढ़वाल	गृह	25000.00	0.00			

A-14392	12.06.2014	2014	श्री पुरूषोत्तम दत्त कण्डवाल, ग्राम व पोस्ट मराल, वाया स्वर्गाश्रम, जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/का र्यालय जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	पौड़ी गढ़वाल	गृह	25000.00	0.00			
A-13077	18.06.2014	2014	श्री शाह आलम, मार्फत डा0 जमशेद उस्मानी, मस्जिद वाली गली माजरा देहरादून – 248001	लो0 सूचना अधिकारी कार्यालय तहसीलदार तहसील विकास नगर जिला देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोवित किया गया है।	देहरादून	राजस्व	25000.00	0.00			
A-14480	19.06.2014	2014	श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, निवासी लालपुर पोस्ट लालपुर तहसील किच्छा जिला उधम सिह नगर प्रशासक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लालपुर, विकासखण्ड रूद्रपुर तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर	प्रशासक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लालपुर, विकासखण्ड रूद्रपुर तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर पर 10000 हजार रूपये की सांकेतिक शास्ति अरोपित किया गया है	उधमसिंह नगर	ग्राम्य विकास	10000.00	0.00			

A-13244	12.06.2014	2014	श्री विनोद कुमार जैन एल–79 ऋषिलोंक कालोनी, ऋषिकेश जिला देहरादून – 249201 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड /	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।	हरिद्वार	सिंचाई	25000.00	0.00	विभागीय कार्यवाही		
A-14626	26.06.2014	2014	श्री मधुकांत प्रेमी, पुत्र स्व0 श्री सुगन चंद, निवासी पीठबाजार ज्वालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपति किया जाता हैं	हरिद्वार	समाज कल्याण	5000.00	0.00			चालान संख्या 134 दिनांक 8.7.2014 के द्वारा भुगतान कर दिया गया है।
A-14463	30.06.2014	2014	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक, ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट हरिद्वार उत्तराखण्ड सहायक नगर अधिकारी / स्वास्थ्य अनुभाग नगर निगम हरिद्वार	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	चिकित्सा	5000.00	0.00			
A-14514	23.06.2014	2014	श्री प्रमोद कुमार डोभाल,प्रवक्ता आर.टी.आइ. क्लब, उत्तराखण्ड प्रेमपुरमाफी निकट नाग मन्दिर कौलागढ़ देहरादून सहायक निदेशक, मत्स्य, उधम सिंह नगर	सहायक निदेशक, मत्स्य, उधम सिंह नगर पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधम सिंह नगर	मत्स्य	10000.00	0.00			

A-14358	27.06.2014	2014	श्री संजीव गुप्ता,निवासी–10ए, पटेल रोड देहरादून उत्तराखण्ड अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून उत्तराखण्ड	अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	पेयजल	25000.00	0.00			
A-13653	18.06.2014	2014	श्री सुनील कुमार शर्मा, पुत्र स्व0 श्री वीरभान शर्मा, आनंद भवन श्रवणनाथ घाट हरिद्वार उत्तराखण्ड	क्षेत्रीय लेखपाल क्षेत्र शूखूपुरा उर्फ कनखल, द्वारा तहसीलदार हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हें	हरिद्वार	राजस्व	25000.00	0.00			
A-14548	23.06.2014	2014	श्री हरीशंकर पाण्डेय, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर देहरादून कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट जिला पिथौरागढ	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट जिला पिथौरागढ पर 25000	पिथौरागढ़	कृषि भूमि संरक्षण	25000.00	0.00			
A-13515	19.06.2014	2014	श्री राजीव नौटियाल, संवाददाता, फोकस टी0वी0, कार्यालय कोर्ट रोड उत्तरकाशी प्र0 अधिशासी अभियन्ता, टनल, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 मनेरी उत्तरकाशी	प्र0 अधिशासी अभियन्ता, टनल, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 मनेरी उत्तरकाशी पर 4250 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उत्तरकाशी	उर्जा	4250.00	0.00			

A-14585	25.06.2014	2014	श्री मुमताज अब्बास नकवी पुत्र श्री शब्बीर हुसैन नकवी, 12 शेखपुरी रूड़की परगना व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार नगर निगम रूड़की जिला हरिद्वार मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम रूड़की जिला हरिद्वार	नगर निगम रूड़की जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है एवं मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम रूड़की जिला हरिद्वार के विरूद्ध विभागीय कायवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।	हरिद्वार	विकास नगर	5000.00	0.00	DA		
A-13591	19.06.2014	2014	श्री नूर हसन पुत्र श्री इशाक, ग्राम हजाराग्रन्ट , विकास खण्ड बहादराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 4750 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	4750.00	0.00			
A-13377	25.06.2014	2014	कु0 हेमा पोखरिया, द्वारा प्रो0 देव सिंह पोखरिया, हिन्दी विभाग, एस0एस0जे0 परिसर अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड	श्री दिनोश चन्द्र लोक सूचना अधिकारी/कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड पर 25000 की शास्ति आरोपित किया गया है।	नैनीताल	उच्च शिक्षा	25000.00	0.00			
A-13873	26.06.2014	2014	श्री अरविन्द कुमार , पुत्र श्री तेजपाल सिंह, ग्राम मथाना, पोस्ट दाबकी कलां जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	तहसीलदार तहसील लक्सर जिला हरिद्वार पर 13750 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।उप जिला अधिकारी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार पर	हरिद्वार	राजस्व	13750.00	0.00			

A-13533	30.06.2014	2014	श्री फकीर चन्द रावत, पुत्र श्री श्रीचन्द रावत, ग्राम खलाड़ी, पोस्ट पुरोला, तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हे	उत्तरकाशी	पी0एम0जी0 एस0वाई0	5000.00	0.00			
A-14640	02.07.2014	2014	श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री करम सिंह, ग्राम दुधलादयालवाला, पोस्ट श्यामपुर कांगड़ी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दूधलादयालवाला पोस्ट श्यामपुर विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दूधलादयालवाला पोस्ट श्यामपुर विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 10000 रूपये एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दुधलादयालवाला पर 15000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	हरिद्वार	ग्राम्य	25000.00	0.00			
A-14434	16.07.2014	2014	श्री अमर देव पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, निवासी ग्राम निरंजनपुर पोस्ट खास निरंजनपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	तहसीलदार तहसील लक्सर जिला हरिद्वार पर 5000 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	राजस्व	5000.00	0.00			
A-14664	16.07.2014	2014	स्वामी महेशानन्द चेला प्रकाशानन्द, सरस्वती आश्रम मिशन रोड कनखल जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड–249408 जिला पूर्ति अधिकारी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	जिला पूर्ति अधिकारी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	25000.00	0.00			

A-14356	10.07.2014	2014	श्री ब्रहमानन्द पोखरियाल,ग्राम डण्डामल्ला, पोस्ट डण्डातल्ला वाया सतपुली पौड़ी गढ़वाल परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन ईकाई स्वजल परियोजना पौड़ी गढ़वाल	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन ईकाई स्वजल परियोजना पौड़ी गढ़वाल पर 25000 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढवाल	स्वजल	25000.00	0.00			
A-13870	31.07.2014	2014	श्री अहसान अंसारी,पत्रकार ए 61/।।/। भेल रानीपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	तत्कालीन उप जिला अधिकार श्री मायादत्त जोशी उप जिला अधिकारी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	राजस्व	5000.00	0.00			
A-14235	22.07.2014	2014	कुमारी रसपाल रानी पुत्री स0 जगत सिंह, 336/29 सिविल लाई रूड़की जिला हरिद्वार 1. खण्ड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, 2.जिला परियोजना अधिकारी सर्वशिक्षा अभियान जिला हरिद्वार उत्तराखण्डजिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा हरिद्वार	हरिद्वार उत्तराखण्ड/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	हरिद्वार	शिक्षा	25000.00	0.00			
A-14764	15.07.2014	2014	श्री श्रीराम गुप्ता,सम्पादक कान्ति गाथा, आदर्श ग्राम ऋषिकेश जिला देहरादून सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड डाकपत्थर देहरादून	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड डाकपत्थर देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	देहरादून	लघु विंचाई	25000.00	0.00			वाउचर संख्या ए–1, दिनांक 27. 09.2014 के द्वारा 25000 रूपये की शास्ति जामा कर दी गयी है।

A-13765	18.07.2014	2014	श्री अमर एस. धुन्ता,आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड 827/1 सिरमौर मार्ग कौलागढ़ रोड देहरूदन उत्तराखण्ड प्रधानाचार्य राम प्यारी आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज खुड़बुड़ा देहरादून उत्तराखण्ड	प्रधानाचार्य राम प्यारी आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज खुड़बुड़ा देहरादून उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	शिक्षा	25000.00	0.00		**WP No. 2000/MS/2014] The impugned order dated 18.7.2014 Pased by respondent no 1/ State Information commission in Appeal No 13165 Shall Remain Stayed.**	
A-14459	03.07.2014	2014	श्री नरेन्द्र कुमार उपाध्याय, पुत्र श्री खेम पाल उपाध्याय, फलेट नम्बर–604, यंत्र टावर पैरामाउण्ट सिफोनी कासिंग रिपब्लिक एन0एच0–24 गाजियाबाद उत्तरप्रदेश–201016 नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून	नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपति किया जाता है।	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	5000.00	0.00			
A-14883	09.07.2014	2014	श्री वीरेन्द्र थापा,पुत्र स्व0 श्री ए0बी0थापा, ग्राम व पोस्ट मोहब्बेवाला, जिला देहरादून उत्तराखण्ड–248110 कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी सर्वे चौक देहरादून उत्तराखण्ड	कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी सर्वे चौक देहरादून उत्तराखण्ड पर 2500 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	देहरादून	समाज कल्याण	2500.00	0.00			

A-13114	04.07.2014	2014	श्री अजय चन्द्र पाण्डेय, ग्राम सिरमोली पोस्ट चौनलिया तहसील भिक्यासैन जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला अल्मोड़ा	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी /खण्ड शिक्षा अधिकारी स्याल्दे जिला अल्मोड़ा, तथा वर्तमान खण्ड शिक्षा अधिकारी खानपुर जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गयी है।	अल्मोड़ा	शिक्षा	5000.00	0.00			
A-14898	14.07.2014	2014	श्री मनिन्द्र मण्डल पुत्र श्री शिवेन्द्र मण्डल, पिपलिया नम्बर–1, पोस्ट प्रेम नगर गदरपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड– 263152 कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/बी0पी0एल0 प्रभारी, विकास खण्ड गदरपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्रामक सरोवर नगर महातेष, सकैनिया, बूरानगर एंव मदनपुर पर 5000–5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधमसिंह नगर	ग्राम्य विकास	25000.00	0.00			चालान संख्या 25150017 दिनांक 27.12.2014 के द्वारा 5000 की शास्ति जमा कर दी गयी है।
A-14511	11.07.2014	2014	श्री शमशेर खान पुत्र स्व0 श्री घसीटा खान, मौ0 कड़च्छम संख्या–482, ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 5/ 1, आंसरी मार्ग, देहरादून	उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 5/ 1, आंसरी मार्ग, देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	देहरादून	वन	25000.00	0.00			
A-11371	08.07.2014	2014	श्री विवेक तागरा,डी–48, प्रथम तल पुरानी इलाहाबाद बैंक गली, रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर अनुभाग अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक प्राधिकारी प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ,उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 20000 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	देहरादून	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.00	20000.00		WP No. 460/2015 Operation and effect of the impugned order shall remain stayed	

A-14661	14.07.2014	2014	श्री संजीव गुप्ता, 10 ए, पटेल रोड देहरादून/प्रधान कार्यालय उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 माहिनी रोड, देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी निगम मुख्यालय श्री प्रेम सिंह पर 15000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	देहरादून	पेयजल	15000.00	0.00			पत्रांक संख्या 161 दिनांक 5. 12.2014 के द्वारा 15000 हजार रूपये की शास्ति जाम कर दी गयी है।
A-13895	10.07.2014	2014	श्री उदित कान्त अग्रवाल , आर्य समाज मार्ग हल्द्वानी जिला नैनीताल अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड नैनीताल उत्तराखण्ड	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड नैनीताल उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	नैनीताल	लघु सिंचाई	25000.00	0.00			पत्रांक संख्या 6832 दिनांक 28.10.2014 के द्वारा 25000 की धनराशि जमा कर दी गयी है।
A-13900	02.07.2014	2014	गोकर्ण सिंह,द्वारा पवांर पुस्तक भण्डार निकट बस स्टेशन पोस्ट व तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ /कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	देहरादून	ग्रामीण अभियन्त्रण	25000.00	0.00			
A-14828	28.07.2014	2014	श्री सतीश कुमार आर्य, सम्पादक प्रेम वाणी हाल निवास–110, फेडस कालोनी, मल्हीपुर रोड जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर पर 10000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित की गयी है।	उधमसिंह नगर	नगर विकास	10000.00	0.00			पत्रांक संख्या 341 दिनांक 20.1.2015 के द्वारा 10000 हजार रूपये की शास्ति जाम कर दी गयी है।
A-13406	28.07.2014	2014	श्री सुधाकर भट्ट, उपाध्यक्ष, नगर निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड शाखा नगर निगम हरिद्वार उत्तराखण्ड उप सचिव, शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार पर 5000 रू0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	देहरादून	शहरी विकास	5000.00	0.00			

A-14070	28.05.2014	2014	श्री उदय नारायण तिवाड़ी, मुख्य सम्पादक अपनी बागवानी साप्ताहिक समाचार पत्र, कोटी विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला जौलीग्रान्ट देहरादून, लोक सूचना अधिकारी/ नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी /सचिव, एम.डी.डी.ए.	नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	5000.00	0.00			
C-8204	18.06.2014	2014	श्री रतन मणि डोभाल, 51/2, गंगा विहार कालोनी पोस्ट साधुबेला भूपतवाला हरिद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार	मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	हरिद्वार	चिकित्सा	25000.00	0.00			
C-9069	30.06.2014	2014	मौ0 इकराम अंसारी, पुत्र श्री असमल ग्राम गाड़ोंवाली बहादरपुर जट तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	हरिद्वार	उर्जा	5000.00	0.00		WP No. 2682, impugned order shall remain stayed til further orders of this Court	
C-14852	05.08.2014	2014	श्री मनोहर सिंह, एडवाकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बार भवन रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उप खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उप खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	उधमसिंह नगर	उर्जा	5000.00	0.00			

A-13965	24.07.2014	2014	श्री तोला राम बहुगुणा पुत्र स्व0 श्री भगत राम बहुगणा, 71/40 चौधरी बिहारी लाल मार्ग, नैशविला रोड देहरादून प्रशासक, ग्राम पंचायत लाखामण्डल विकास खण्ड चकराता जिला देहरादून से	प्रशासक, ग्राम पंचायत लाखामण्डल विकास खण्ड चकराता जिला देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	पंचायती राज	5000.00	0.00			चालान संख्या 10 दिनांक 09.8.2014 के द्वारा 5000 रूपये की शास्ति जमा कर दिया गया है।
A-14929	16.07.2014	2014	श्री लक्ष्मी नारायण भारद्वाज ,पूर्व प्रधान ग्राम व पोस्ट बूंगातल्ला रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल –246170 /खण्ड विकास अधिकारी रिखणीखाल जिला पौड़ी गढ़वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी एवं लेखाकार विकास खण्ड रिखणीखाल पर बिन्दु संख्या 2 व 4 की सूचना समय पर उपलब्ध न कराये जाने पर कमशः 2000 एवं 2250 की शास्ति आरोपित किया गया है।	पौड़ी गढवाल	ग्राम्य विकास	4250.00	0.00			पत्र संख्या 688/1 दिनांक 3.3.2015 के द्वारा 42 रूपये की कटौती कर ली गयी है।
A-13951	08.05.2014	2014	श्री आसिम अजहर, सम्पादक काइम का शिकंजा ग्राम मिस्सरवाला, पोस्ट कुण्डा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/ प्रशासक/ सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पंचायत बाबरखेड़ा, विकासखण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी प्रशासक/सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पंचायत बाबरखेड़ा, विकासखण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 1000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है	उधम सिंह नगर	पंचायती राज	1000.00	0.00			

A-13752	21.04.2014	2014	श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष, जन संघर्ष मोर्चा, उत्तराखण्ड अस्पताल रोड विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है ।	देहरादून	उद्योग	10000.00	0.00			पत्र संख्या 5/कटोती /2014–15 के द्वारा 10000 रूपये की कटौती कर ली गयी है।
A-14358	30.07.2014	2014	श्री संजीव गुप्ता, निवासी –10ए, पटेल रोड देहरादून उत्तराखण्ड अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून/मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल उत्तराखण्ड पेयजल निगम निगम पौड़ी उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून पर 25000 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढवाल	पेयजल	25000.00	0.00			
A-14423	12.07.2014	2014	श्री गणेश दत्त तिवारी पुत्र स्व0 श्री जीवानन्द ग्राम बल्यूटी, पोस्ट काठगोदाम जिला नैनीताल प्रधान/प्रशासक ग्राम पंचायत बल्यूटी विकास खण्ड भीमताल जिला नैनीताल/खण्ड विकास अधिकारी भीमताल जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी /प्रधान/प्रशासक ग्राम पंचायत बल्यूटी विकास खण्ड भीमताल जिला नैनीताल पर 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	नैनीताल	ग्राम्य विकास	25000.00	0.00			
A-14602	05.08.2014	2014	श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय एडवोकेट, तहसील परिसर गरूड़ जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड उप परियोजना निदेशक यू.डी. डबलू.डी.पी.–2, बागेश्वर उत्तराखण्ड/परियोजना निदेशक यू.डी. डबलू.पी.पी. –2, कुमाऊ क्षेत्र हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी/उप परियोजना निदेशक यू.डी.डबलू.डी.पी. –2, बागेश्वर उत्तराखण्ड पर 11750 की शास्ति अरोपित किया जाता है।	नैनीताल	जलागम	11750.00	0.00			

A-15023	11.08.2014	2014	श्री दीन दयाल मित्तल, 642 रेसकोर्स वैली निकट पुलिस लाईन देहरूदन अधिशासी अभियन्ता, मसूरी`दहरादून विकास प्राधिकरण सहारनुपुर रोड देहरादून सचिव मसरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनुपर रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहारनपुर रोड देहरादून पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	5000.00	0.00			
A-13867	13.08.2014	2014	श्री अमर कुमार गौड पुत्र स्व0 श्री जय प्रकाश द्वारा के0के0 त्रिपाठी एडवोकेट ब्लाक–1, बार भवन के सामने कचहरी देहरादून उप जिला अधिकारी सदर जिला देहरादून/	लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी सदर जिला देहरादून पर 11250 की शास्ति अरोपित किया जात है।	देहरादून	राजस्व	11250.00	0.00			
A-9829	31.05.2013	2013	श्री बेदी राम त्यागी, क्यूं0 245, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखण्ड अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल, रोशनाबाद–हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	उर्जा	10000.00	0.00			
A-10682	26.04.2013	2013	श्री परूषोतम दत्त कण्डवाल अधिवक्ता, विपरीत सिटी मजीस्ट्रेट कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहारनुपर रोड देहरादून/	लोक सूचना अधिकारी/मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहारनपुर रोड देहरादून पर 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	25000.00	0.00			

A-10737	30.04.2013	2013	श्री अनूप बिष्ट, सहायक विधि अधिकारी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 उज्जवल महारानीबाग जनरल महादेव सिंह रोड देहरादून अधिशासी अभियन्ता (लजवि), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 रविग्राम जोशीमठ जिला चमोली उप महाप्रबंधक (लजवि), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, श्रीकोट, श्रीनगर, गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (लजवि), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 रविग्राम जोशीमठ जिला चमोली पर 15000 पर शास्ति आरोपित किया जाता है	पौड़ी गढवाल	उर्जा	15000.00	0.00			
A-15049	21.08.2014	2014	श्री संजीव कुमार एडवोकेट, चैम्बर नम्बर–210, तहसील कोर्ट रूड़की जिला हरिद्वार अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूडकी जिला हरिद्वार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल उपाकालि रूडकी जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूडकी जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	उर्जा	5000.00	0.00			पत्रांक संख्या 5923 दिनांक 27/12 2014 के द्वारा 5000 रूपये की शास्ति चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी गयी है।
A-14697	19.08.2014	2014	श्री प्रमोद कुमार डोभाल, प्रवक्ता, आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड, प्रेमपुरमाफी निकट नाग मन्दिर कौलागढ़ देहरादून अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल मुनि की रेती मनेरीमाली फील्ड हॉस्टल निकट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	देहरादून	सिंचाई	5000.00				वाउचर संख्या–ए2 7000024 दिनांक 28.11. 2014 के द्वारा 5000 रूपये की शास्ति जमा कर दी गयी है।
A-15160	22.08.2014	2014	श्री देवी प्रसाद पाण्डेय ई–ब्लाक सरस्वती विहार मार्फत भण्डारी प्रोभीजन स्टोर अजबपुर खुर्द देहरादून	कलैक्ट्रेट, नई टिहरी पर 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	टिहरी गढ़वाल	राजस्व	10000.00	0.00		WP no. 120/2015, operation and effect of the impugned order shall remain stayed	

A-14406	13.08.2014	2014	श्री सतीश चन्द्र नौटियाल, पी0टी0ए0 शिक्षक, प0इ0का0 उफरैंखाल, ग्राम सिमखोली गुरफली, पोस्ट चौखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पौड़ी गढ़वाल मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रूपये की शास्ति एवं 2500 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढवाल	शिक्षा	25000.00	2500.00			
A-14496	06.08.2014	2014	श्री वकील पुत्र श्री शब्बीर ,ग्राम नगला खुर्द, पोस्ट श्यामपुर तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी ब्लाक बहादराबाद हरिद्वार परियोजना अधिकारी सर्वे शिक्षा अभियान कनखल हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/प्रधान ाचार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला खुर्द विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	शिक्षा	25000.00	0.00			
A-13445	12.05.2014	2014	श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री रोढाराम, निवासी अलावलपुर पोस्ट सुभाषगढ़ विकास नगर बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अलावलपुर, विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अलावलपुर, विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	5000.00	0.00			

A-14489	21.08.2014	2014	श्रीमती पूनम चौकियाल, हाल ग्राम व पोस्ट गंगानाली श्रीकोट, श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा पौड़ी गढ़वाल/मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढवाल	वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा पौड़ी गढ़वाल के लोक प्राधिकारी /महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ननूरखेड़ा देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि 15000 की क्षतिपूर्ति विभागीय मद से श्रीमती पूनम चौकियाल को निर्गत करायें ।	**पौड़ी गढवाल**	**शिक्षा**	0.00	15000.00			बैंक डाफट संख्या 354775 दिनांक 17.3.2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-14978	28.08.2014	2014	श्री विजेन्द्र प्रसाद कोठियाल, पुत्र स्व0 श्री हरिशरण कोठियाल, ग्राम चौपा, हाल निवासी खाड़ी पोस्ट जाजल, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान नई टिहरी गढ़वाल महाप्रबधंक मुख्यालय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी–ब्लाक नेहरू कालोनी देहरादून	**अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान नई टिहरी गढ़वाल पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।**	देहरादून	**जल संस्थान**	5000.00	0.00			
A-14032	12.08.2014	2014	श्री नरेश कुमार तोमर पुत्र सूरत सिंह, ग्राम पपडियांन पोस्ट कटापत्थर, वाया डाकपत्थर देहरादून–248125 अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून महाप्रबंधक, मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान जलभवन, बी–ब्लांक नेहरू कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून पर 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	देहरादून	**जल संस्थान**	25000.00	0.00			

A-13526	29.08.2014	2014	श्री मनमोहन बलोधी, ए–242 एम.आई.जी. बृज विहार पोस्ट चन्द्रर नगर जिला गाजियाबाद – 201011, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान (गढ़वाल परिक्षेत्र) पौड़ी गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढवाल	जल संस्थान	25000.00	0.00			
A-3798	04.09.2014	2014	श्री गुणानन्द भट्ट, ग्राम ढालवाला, बाईपास पोस्ट आफिस ढालवाला जिला टिहरी गढ़वाल उप श्रमायुक्त देहरादून हिमगिरी विहार अजब पुर खुर्द देहरादून अपर श्रमायुक्त देहरादून	उप श्रमायुक्त देहरादून हिमगिरी विहार अजब पुर खुर्द देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	देहरादून	श्रम	25000.00	0.00			
A-13420	20.08.2014	2014	श्री एम0एम0 अंसारी, ग्राम शंकर पुर खजान्ची रामनगर जिला नैनीताल/खण्ड शिक्षा अधिकारी रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखण्ड	लोक प्राधिकारी, महानिदेशक विद्यालीय शिक्षा उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा के मद से रू0 15000 की क्षतिपूर्ति के तौर पर अपीलार्थी को भुगतान करना सुनिश्चित करें ।	नैनीताल	शिक्षा	0.00	15000.00			
A-15234	04.09.2014	2014	श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम कुआखेड़ा पोस्ट अकरौली, तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश खण्ड शिक्षा अधिकारी बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर	खण्ड शिक्षा अधिकारी बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपति किया जाता है।	उधमसिंह नगर	शिक्षा	25000.00	0.00			

	28.08.2014	2014	मो0 अकबर खान, प्रदेश अध्यक्ष, सोशलिस्ट जनता पार्टी एन0टी0डी0 अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) अल्मोड़ा प्रधानाचार्य होली ऐंजिल विद्यालय खत्याड़ी जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल पर रू0 25000 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	अल्मोड़ा	शिक्षा	25000.00	0.00			
A-14930	09.09.2014	2014	श्री सुधीर गोयल, सी–21, नेहरू कालोनी, देहरादून जिला उद्यान अधिकारी जिला देहरादून मुख्य विकास अधिकारी देहरादून	जिला उद्यान अधिकारी जिला देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	ग्राम्य विकास	25000.00	0.00			
A-13448	10.09.2014	2014	श्री नूर अहमद पुत्र वसीर अहमद, ग्राम व पोस्ट अम्बुवाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम भगतनपुर, आबिदपुर ,विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम भगतनपुर, आबिदपुर ,विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	25000.00	0.00			
A-15427/154 28/15429	15.09.2014	2014	श्री ब्रहमाचारी दयानन्द मातृ सदन जगजीतपुर कनखल जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड लो0 सू0 अधि0 कार्यालय जिला अधिकारी हरिद्वार, वि0अ0अधि0 अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार आहरण वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट हरिद्वार	कलैक्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 20000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है है।	हरिद्वार	राजस्व	20000.00	0.00			

A-13274	05.09.2014	2014	श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा, मानव विहार कालोंनी मानपुर रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल उ0पा0का0 लि0 33 के0वी0 विद्युत उप संस्थान मानपुर परिषर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 10000 रूपये की शास्ति अरेापित किया जाता है	उधमसिंह नगर	उर्जा	10000.00	0.00		WP No. 2721/2014 operation and effect of the impugned order shall remain stayed	
A-14804	09.09.2014	2014	श्री चन्द्रशेखर करगेती, एडवोकट, द्वारा कल्याणी जनरल स्टोर सेंट लोरेंस स्कूल के पास डहरिया पोस्ट मानपुर पश्चिमी हल्द्वानी जिला नैनीताल–263139 खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड	खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधमसिंह नगर	शिक्षा	25000.00	0.00			वाउचर संख्या ए–22020130 दिनांक 26.2.2015 द्वारा माह फरवरी 2015 के वेतन से कटौती कर दी गयी है।
A-14803	09.09.2014	2014	श्री चन्द्रशेखर करगेती, एडवोकट, द्वारा कल्याणी जनरल स्टोर सेंट लोरेंस स्कूल के पास डहरिया पोस्ट मानपुर पश्चिमी हल्द्वानी जिला नैनीताल–263139 खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड	खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधमसिंह नगर	शिक्षा	25000.00	0.00			कोषागार वाउचर संख्या ए22020091 27.1.2015 द्वारा माह जनवर 2015 के वेतन से कटौती की गयी है।
A-14802	09.09.2014	2014	श्री चन्द्रशेखर करगेती, एडवोकट, द्वारा कल्याणी जनरल स्टोर सेंट लोरेंस स्कूल के पास डहरिया पोस्ट मानपुर पश्चिमी हल्द्वानी जिला नैनीताल–263139 खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड	खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधमसिंह नगर	शिक्षा	25000.00	0.00			कोषागार वाउचर संख्या ए22020091 27.1.2015 द्वारा माह जनवर 2015 के वेतन से कटौती की गयी है।

A-14422	10.09.2014	2014	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री भरोषानन्द डोभाल, ग्राम दैषण, पोस्ट बांघाट विकास खण्ड कल्जीखाल जिला पौड़ी गढवाल प्रशासक ग्राम पंचायत बिलखेत विकास खण्ड कल्जीखाल/ सहायक समाज कल्याण अधिकारी कल्जीखाल जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रशासक ग्राम पंचायत बिलखेत विकास खण्ड कल्जीखाल पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढवाल	पंचायती राज	10000.00	0.00	0.00		राजकीय खाता संख्या ए–(पी0आई0) 14422 दिनांक 10.9.2014 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-15357	17.09.2014	2014	श्री नवीन चन्द्र मिश्रा, ले0 कमाण्डर (रि0) मिश्रा कौटेज आदश नगर बिहाइण्ड राधा कृष्ण, टेम्पल तल्ली बमोरी हल्द्वानी जिला नैनीताल संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरूदन अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून	संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरूदन पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	शिक्षा	25000.00	0.00		WP No. 2854/2014 impugned order dated 17-09-2014 passed by State Information Commissioner in Appea No.15357 stayed Application stands disposed of.	
A-14176	10.09.2014	2014	श्री धर्मवीर सैनी, हजारी बाग, कनखल हरिद्वार उत्तराखण्ड, तहसीलदार लक्सर जिला हरिद्वार	तत्कालनी एवं वर्तमान तहसीलदार लक्सर जिला हरिद्वार पर 5000–5000–हजारी रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	राजस्व	10000.00	0.00			
A-13848	09.09.2014	2014	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, आर.टी.आई. मिशन उत्तराखण्ड 104, ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर जिला देहरादून अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहरानपुर रोड देहरादून	अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहरानपुर रोड देहरादून पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	5000.00	0.00			

A-14840	09.09.2014	2014	श्री विनोद कुमार कन्नौजिया अधिवक्ता, 194 गुरूद्वारा कालोनी क्लेमनटाऊन देहरादून मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहारनुपर रोड निकट ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून	लोक सूचना अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहारनुपर रोड निकट ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	5000.00	0.00			
A-15383	05.09.2014	2014	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मार्फत श्री जीत सिंह तोमर नई कालोनी ग्राम रसूलपुर निकट नीतिन टैन्ट विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड प्रशासक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेलोथ, विकास खण्ड चकराता देहरादून खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चकराता जिला देहरादून	प्रशासक/ पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेलोथ, विकास खण्ड चकराता देहरादून पर कमशः 5000 एवं 10000 की शास्ति आरोपित किया गया है।	देहरादून	ग्राम्य विकास	15000.00	0.00			ट्रेजरी चालान संख्या कमशः9, 13 के जमा किया गया है
A-14734	08.09.2014	2014	श्री गुरमीत सिंह, प्रान्तीय महामंत्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ 26 ई0सी0 रोड आई0टी0आई0 महिला परिसर देहरादून प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल पर 25000 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	नैनीताल	सेवायोजन	25000.00	0.00			
A-14732	25.08.2014	2014	श्री धर्मवीर सैनी, हजारी बाग कनखल जिला हरिद्वार सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड अपर श्रमायुक्त 298 हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द जिला देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकार श्री विपिन कुमार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति एवं सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	श्रम	35000.00	0.00			

A-15288	12.09.2014	2014	श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल, नि0 ग्राम पंडितपुरी पोस्ट रायसी, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड तहसीलदार तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	तहसीलदार तहसील लक्सर जिला हरिद्वार 5000 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	राजस्व	5000.00	0.00			
A-15358	22.09.2014	2014	श्री जे0पी0 पाण्डे प्रदेश सचिव, उत्तराखण्ड कांग्रेस कूमेटी, कैम्प कायालय 34, टिबड़ी, हरिद्वार उत्तराखण्ड खण्ड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद जिला हरिद्वार प्रधानाचाध्यापक प्रा0वि0 आदर्श टिहरी नगर पथरी हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	शिक्षा	25000.00	0.00			
A-14776	08.09.2014	2014	श्री अजब सिंह पुत्र श्री जहांगीरा,निवासी मौहम्मदपुर बुजुर्ग तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मौ0पुर बजुर्ग तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मौ0पुर बजुर्ग तहसील लक्सर जिला हरिद्वार पर कमशः 25000 एवं 10000 की शास्ति अरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	35000.00	0.00			
A-14030	05.09.2014	2014	चौ0 अश्वनी कुमार तांवर,प्रभारी विधान सभा खानपुर, ग्राम मथाना पोस्ट दाबकी कलां जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड सहायक श्रमायुक्त रोशनाबाद जिला हरिद्वार अपर श्रमायुक्त 298 हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द जिला देहरादून	उप श्रमायुक्त श्री विपिन कुमार पर 25000 हजार रूपये की शाास्ति आरेापित किया जाता है।	देहरादून	श्रम	25000.00	0.00			

A-15312	11.09.2014	2014	श्री अजय कुमार जैन, प्रबंधक, श्री हाशियार सिंह बृद्धमल जैन बालिका इनटर कालेज विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड उप खण्ड अधिकारी विद्युत तिवरण उप खण्ड विकास नगर देहरादून उत्तराखण्ड अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण उप खण्ड विकास नगर जिला देहरादून	उप खण्ड अधिकारी विद्युत तिवरण उप खण्ड विकास नगर देहरादून उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	देहरादून	उर्जा	5000.00	0.00			
A-13395	11.09.2014	2014	श्री रवि शंकर जोशी पुत्र श्री त्रिलोचन जोशी, ग्राम बंसतपुर पोस्ट किशनपुर गौलापार, हल्द्वानी जिला नैनीताल उतराखण्ड – 263139 उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन (मा0सं0) ऊर्जा भवन, देहरादून उत्तराखण्ड मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन, लि0 ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी कार्मिक अनुभाग (अनुशासनात्मक कार्यवाही) उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन (मा0सं0) ऊर्जा भवन, देहरादून उत्तराखण्ड पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	उर्जा	10000.00	0.00			
A-14837	15.10.2014	2014	श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, 110 संजय कालोनी मोहनी रोड देहरादून उत्तराखण्ड –248001 उप नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/उप नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	नगर विकास	5000.00	0.00			
A-14104	13.10.2014	2014	डा0 सरीन कुमार,प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डा0 हरिम आर्य इण्टर कालेज मायापुर जिला हरिद्वार प्रधानाचार्य, डा0 हरिराम इण्टर कालेज मायापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड प्राधिकृत नियंत्रक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला हरिद्वार	प्रधानाचार्य, डा0 हरिराम इण्टर कालेज मायापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	शिक्षा	25000.00	0.00			

A-15312	11.09.2014	2014	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल,पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, ग्राम चुपड़ाखेत, पोस्ट आदिचौरा, तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान शाखा डीडीहाट जिला पिथौरागढ	लोक सूचना अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान शाखा डीडीहाट जिला पिथौरागढ पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पिथौरागढ	जल संस्थान	25000.00	0.00			चालान संख्या 02 दिनांक 20 मार्च 2015 के द्वारा 25000 रूपये की शास्ति जमा कर दी गयी है
A-15400	05.11.2014	2014	श्री कुन्दन सिह बिष्ट, पुत्र श्री के.एस. बिष्ट, 22 सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक देहरादून नगर अभियन्ता, नगर निगम हल्द्वानी कोठगोदाम, जिला नैनीताल उप नगर अधिकारी नगर निगम हल्द्वानी जिला नैनीताल	लो.सू.आ. नगर अभियन्ता, नगर निगम हल्द्वानी कोठगोदाम पर 10000 रूपय की शास्ति आरोपित की गयी	नैनीताल	नगर विकास	10000.00	0.00		WP no. 721 of 2015 MIS Writ petition	
A-15577	20.10.2014	2014	श्री शम्भू प्रसाद नौटियाल पुत्र स्व0 सत्येस्वर नौटियाल, निवासी ग्राम भेटियारा गाजणा पत्रालय, धौंतरी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान उत्तरकाशी महाप्रबंधक, मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन, बी–ब्लांक नेहरू कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान उत्तरकाशी पर 2750 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	जल संस्थान	2750.00	0.00			
A-14732	20.10.2014	2014	श्री धर्मवीर सैनी, हजारी बाग कनखल जिला हरिद्वार सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड अपर श्रमायुक्त 298 हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 10000 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	श्रम	10000.00	0.00			उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून से वसूली कर ली गयी है।

C-9091	01.10.2014	2014	श्री कृपाशंकर, कैनाल रोड बल्लू देहरादून उत्तराखण्ड वनाम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून उत्तराखण्ड पर 5000 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	5000.00	0.00			
			श्री महेन्द्र सिंह एडवोकेट, चैम्बर नम्बर–28ए, तहसील हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	नैनीताल		25000.00	0.00			चालान संख्या–85 दिनांक 15 नवम्बर 2014 के द्वारा 25000 की धनाराशि जाम कर दी गयी है।
A-13947	27.03.2014	2014	डा0एच0 सी0 सती,प्रधान, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रधान विकास संगठन, ग्राम पंचायत सिवाली पोस्ट चौबटिया विकास खण्ड ताड़ीखेत रानीखेत जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड कालाएुगी रोड दुर्गा भवन हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी /जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है	नैनीताल	समाज कल्याण	5000.00	0.00			चालान संख्या–4 दिनांक 11 04 2014 के द्वारा 5000 की धनाराशि जाम कर दी गयी है।
C-8821	05.03.2014	2014	श्री गौतम प्रसाद शर्मा, ग्राम इन्दिरा नगर गल्जवाड़ी पोस्ट घंघोड़ा, देहरादून लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गल्जवाड़ी, देहरादून खण्ड विकास अधिकारी सहसपुर जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गल्जवाड़ी, देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	देहरादून	ग्राम्य विकास	5000.00	0.00			

A-16131	06.12.2014	2014	श्री श्रीष कुमार गर्ग,हाउस नम्बर 374, कहरवान, बिहारी पुर बरेली उत्तर प्रदेश–243003/ उप निदेशक फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड , पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी.पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून डीम्ड लोक सूचना अधिकार संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी.पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून संयुक्त निदेशक, फार्मेसी, आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड डाण्डा लखौण्ड, पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी.पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून	डीम्ड लोक सूचना अधिकार संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड , पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर 8000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	आयुर्वेदिक	8000	0.00			चालान संख्या 350 दिनांक 19. 12.2014 के द्वारा जमा कर दी गयी है।
A-16134	06.12.2014	2014	श्री श्रीष कुमार गर्ग,हाउस नम्बर 374, कहरवान, बिहारी पुर बरेली उत्तर प्रदेश–243003/ उप निदेशक फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड , पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी.पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून डीम्ड लोक सूचना अधिकार संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी.पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून संयुक्त निदेशक, फार्मेसी, आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड डाण्डा लखौण्ड, पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी.पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून	डीम्ड लोक सूचना अधिकार संयुक्त निदेशक, फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड ,पोस्ट गुजराड़ा, निकट आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	आयुर्वेदिक	5000	0.00			चालान संख्या 350 दिनांक 19.12. 2014 के द्वारा जमा कर दी गयी है।

A-16139	06.12.2014	2014	डा0 अवध विहारी पाराशर,टाईप–4 आवास नम्बर–5, आई0डी0एच0/ मेला अस्पताल परिसर बिल्केश्वर कालोनी हरिद्वार संयुक्त निदेशक, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून संयुक्त निदेशक, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड डांडा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड देहरादून	महानिदेशक केन्द्रीय प्रकोष्ठ महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,उत्तराखण्ड देहरादून पर पर 2500 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	चिकित्सा	2500.00	0.00			बाउचर संख्या ए–22110 007 दिनांक 27.2. 2015 एवं ए–22110 07 दिनांक 8. 4.2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-16054	06.12.2014	2014	श्री आशीष कुंमार गर्ग,हाउस नम्बर–374 कहरवान, बिहारीपुर, बरेली उत्तर प्रदेश – 243003 उप निदेशक, फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून संयुक्त निदेशक, फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डांडा लखौण्ड पोस्ट गुजराड़ा निकट आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा	संयुक्त निदेशक, फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डांडा लखौण्ड पोस्ट गुजराड़ा निकट आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा पर 17250 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	आयुर्वेदिक	17250	0.00			चालान संख्या 1756 दिनांक 7.2.2015 के द्वारा जमा कर दी गयी है।
A-15956	14.11.2014	2014	श्री विजय महर ,शिवपुरी कालोनी डाकपत्थर जिला देहरादून प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डाकपत्थर, विकास खण्ड विकास नगर, जिला देहरादून खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर, जिला देहरादून	तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डाकपत्थर, विकास खण्ड विकास नगर, जिला देहरादून पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	ग्राम्य विकास	10000.00	0.00			

A-15325	08.12.2014	2014	श्री अरविन्द कुमार, विंग नम्बर–1/12/3 प्रेम नगर देहरादून कार्यालय नैनीताल झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल उत्तराखण्ड कार्यालय नैनीताल झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल उत्तराखण्ड	सचिव आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित किया गया कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान लोक सूचना अधिकारी एवं समतूल्य लोक सूचना अधिकारी में से जो भी उत्तरदायी हो उनका उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए 15000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	नैनीताल	नैनीताल झील विकास प्राधिकरण	15000	0.00			
A-15898	27.11.2014	2014	श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, एडवाकेट, अपर कालाबाड़, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन, विद्युत वितरण मण्डल रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपति किया जाता है।	उधमसिंह नगर	उर्जा	10000.00	0.00			
A-15201	19.11.2014	2014	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री कंवर सिंह, ग्राम ठसका, पोस्ट मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मुन्डियाकी पोस्ट गुरूकुल नारसन, जिला हरिद्वार	प्रधान/तत्कानलीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मुन्डियाकी पोस्ट गुरूकुल नारसन, जिला हरिद्वार पर 10000–10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	20000.00	0.00			

A-15914	26.11.2014	2014	श्रीमती विमला देवी, शिशुमाता, प्राथमिक विद्यालय, सतपुली जिला पौड़ी गढ़वाल उप शिक्षा अधिकारी द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौडी गढवाल	उप शिक्षा अधिकारी द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढवाल	शिक्षा	25000.00	0.00			
A-13461 /62/63	30.10.2014	2014	के0 के.एस.कार्की विहार ग्राम जवाहर नगर पोस्ट डेयरी फार्म नगला जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड सह निदेशक श्रम कल्याण गोविन्द बल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर – 263145	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अरूण कंमार चौधरी, सहायक अध्यापक पंतनगर विश्वविद्यालय पर 15000 की तथा 5000 की शास्ति आरोपति किया जाता है।	उधमसिंह नगर	गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी	20000.00	0.00			
A-13940	17.10.2014	2014	श्री राधेश्याम छाछर शाखा अध्यक्ष, नगर निकाय कर्मचारी शाखा नगर निगम हरिद्वार सहायक श्रमायुक्त हरिद्वार अपर श्रमायुक्त उत्तराखण्ड,298 हिमगिरी विहार अजबपुर खुर्द देहरादून	उप श्रमायुक्त कार्यालय हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	श्रम	25000.00	0.00			
A-14233	26.10.2014	2014	श्री सत्यपाल सिंह रावत,सामजिक कार्यकर्ता ग्राम माला, पोस्ट चमकोटखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पौड़ी गढवाल	शिक्षा	25000.00	0.00			

C-9613	26.11.2014	2014	श्री रावीन्द्र कुमार पुत्र श्री मलखान सिंह ग्राम एक्कड़कलां पोटस् अम्बवाला हरिद्वार प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बहादराबाद जिला हरिद्वार खण्ड विकास अधिकारी बहादराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	5000.00	0.00			
A-16185	05.12.2014	2014	श्री उपेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम व पोस्ट चीवा तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी खण्ड विकास अधिकारी मोरी, जिला उत्तरकाशी जिला विकास अधिकारी उत्तरकाशी	खण्ड विकास अधिकारी मोरी, जिला उत्तरकाशी पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उत्तरकाशी	ग्राम्य विकास	10000.00	0.00			पत्रांक संख्या 1316/2015 दिनांक 4.2.2015 के द्वारा जमा कर दी गयी है
A-15950	05.12.2014	2014	श्री करतार सिंह पुत्र श्री अंचल सिंह निवासी ग्राम मिस्सरपुर,पोस्ट आफिस मिस्सपुर, तहसील व जिला हरिद्वार सहायक नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार उत्तराखण्ड विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी सहारनपुर/हरिद्वार	विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी हरिद्वार पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	राजस्व	10000.00	0.00			चालान संख्या 8 दिनांक 31.1.2015 के द्वारा 10000 हजार रूपये की शास्ति जमा कर दी गयी हैं
A-12618	08.12.2014	2014	डा0 डी0एस0 धामी, दन्त चिकित्सक, सय्यद रोड विकास नगर जिला देहरादून कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड पोस्ट गुंजराडा डांडा लाखैण्ड सहस्त्रधारा रोड देहरादून महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड पोस्ट गुंजराडा डांडा लाखैण्ड सहस्त्रधारा रोड देहरादून	लोक प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड पोस्ट गुंजराडा डांडा लाखैण्ड सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर पृथक–पृथक रूप से 25–25 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	चिकित्सा	500000	0.00			Wp No. 1163/2015 (MS) Stay

A-15722	14.11.2014	2014	श्री नेलशन कुमार अरोड़ा, अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ,संघ भवन, 105, चन्द्र नगर नजदीक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देहरादून निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखण्ड, 21/9 ई0 सी0 रोड देहरादून मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखण्ड, 21/9 ई0 सी0 रोड देहरादून	मुख्य फार्मेसिस्ट, श्री गिरीश चन्द्र नौटियाल, निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखण्ड, 21 /9 ई0 सी0 रोड देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	चिकित्सा	10000.00	0.00			चालान संख्या 305 दिनांक 30 जनवरी 2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-16124	08.12.2014	2014	श्री अमर एस0धुन्ता, आर0टी0आई0 क्लब, 827/1, सिरमौर मार्ग, राजेन्द्र नगर, देहरादून उत्तराखण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊ मण्डल नैनीताल उत्तराखण्ड	चिकित्सा अधीक्षक, श्री एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	नैनीताल	चिकित्सा	5000.00	0.00			पत्रांक संख्या सू0आ0/2015 दिनांक 13.3.2015 के द्वारा 5000 हजार रूपये की कटौती कर दी गय है
A-15201	19.11.2014	2014	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री कंवर सिंह, ग्राम ठसका, पोस्ट मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मुन्डियाकी पोस्ट गुरूकुल नारसन, जिला हरिद्वार खण्ड विकास अधिकारी नारसन जिला हरिद्वार उत्तरखण्ड	ग्राम प्रधान/ तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार त्यागी, मुन्डियाकी पोस्ट गुरूकुल नारसन, जिला हरिद्वार पर 10000–10000 हजार रूपये शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	20000.00	0.00			

A-15509	22.10.2014	2014	श्री नन्दाबल्लभ पाण्डे पुत्र श्री धर्मानन्द पाण्डे, नि0 ग्राम चन्दायन, पोस्ट गूरलभोज, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड सचिव, गुलरभोज लैम्पस समिति विकास खण्ड गदरपुर जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड अपर जिला सहकारी अधिकारी, गदरपुर जिला उधम सिंह नगर	सचिव, गुलरभोज लैम्पस समिति विकास खण्ड गदरपुर जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है	उधम सिंह नगर	ग्राम विकास	5000.00	0.00			पत्रांक संख्या 244/45 दिनांक 8.1.2015 के द्वारा 5000 हजार रूपये की शास्ति की वसूली भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी गयी है।
A-15747	26.09.2014	2014	मौ0 इकराम अंसारी पुत्र श्री असलम, निवासी ग्राम गाडोवाली पोस्ट बहादरपुर जट्‌ट, तहसील व जिला हरिद्वार प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा गाडोवाली, ब्लाक बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद, जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा गाडोवाली, ब्लाक बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार पर 2000 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम विकास	2000.00	0.00			पत्रांक संख्या 2350 दिनांक 8.1.2015 के द्वारा 5000 हजार रूपये की शास्ति की वसूली भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी गयी है।
C-9467	02.01.2014	2014	श्री भूपेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष,नैशनल एक्शन फोरम फार सोशल जस्टिस, एच–255 नेहरू कालोनी देहरादून लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट अल्मोड़ा	लोक सूचना अधिकारी / कलेक्ट्रेट अल्मोड़ा पर 888 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	अल्मोड़ा	राजस्व	888.00	0.00			चालान संख्या 39 दिनांक 8.1.2015 द्वारा जमा कर दिया गया है।
C-14881	02.01.2014	2014	श्री विनोद कुमार, 35 नेशविला रोड देहरादून उत्तराखण्ड,जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, 509 आदर्श नगर धर्मपुर–1, देहरादून	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, 509 आदर्श नगर धर्मपुर–1, देहरादून पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	स्वजल	5000.00	0.00			

A-15711	21.11.2014	2014	श्री हरीश चन्द्र पंत,सेवा निवृत वरिष्ठ प्र0 अधिकारी ग्राम भट्टीगांव, पोस्ट बेरीनाग जिला पिथौरागढ, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागश्वर जिला बोगश्वर	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागश्वर जिला बागेश्वर एवं श्री धरम राम अधिष्ठान लिपिक प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर पर 10000—10000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है	बागेश्वर	लोक निर्माण	20000.00	0.00				माह 3/2015 के वेतन से शास्ति की वूसली कर ली गयी है
A-13977	27.10.2014	2014	श्री बलदेव कृष्ण गोयल,निकट पोस्ट आफिस बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड दी बाजपुर को—ओपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर जिला उधम सिंह नगर प्रधान प्रबंधक दी बाजपुर को—ओपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर जिला उधम सिंह नगर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी दी बाजपुर को—ओपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधम सिंह नगर	सहकारिता	25000.00	0.00				
A-15758	24.11.2014	2014	कुमारी धना बिष्ट, पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम सीमा पोस्ट गैरखेत (मासी), तहसील चौखुटिया जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा उत्तराखण्ड निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी जिला नैनीताल	जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है	नैनीताल	समाज कल्याण	5000.00	0.00				

A-16066	18.11.2014	2014	डा0 के0 एस0 शेखर, I/43ए–13, लालबाग, पंतनगर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड – 263145 प्रभारी अधिकारी, एटिक, प्रसार शिक्षा निदेशालय गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पतंनगर जिला उधम सिंह नगर निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पतंनगर जिला उधम सिंह नगर	प्रभारी अधिकारी, एटिक, प्रसार शिक्षा निदेशालय गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पतंनगर जिला उधम सिंह नगर पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधमसिंह नगर	गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी	10000.00	0.00			
A-15881	18.11.2014	2014	श्री राकेश अमोली,जिलाध्यक्ष, हिन्दू जागरण मंच देहरादून, रामबाग, हरबर्टपुर देहरादून सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड डाकपत्थर देहरादून	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड डाकपत्थर देहरादून पर 25000 की शास्ति अरोपित किया जाता हैं	देहरादून	लघु सिंचाई	25000.00	0.00			पत्रांक 23/2014–15 दिनांक 09 अप्रैल 2015 के द्वारा जमा कर दी गयी है
A-16068	19.11.2014	2014	श्री विनय शुक्ला पत्रकार,मार्फत देवल श्रृंगार सेन्टर, मेन मार्केट बनबसा पोस्ट चन्दनी तहसील टनकपुर जिला चम्पावत उत्तराखण्ड–262310 खण्ड विकास अधिकारी लोहाघाट जिला चम्पावत	खण्ड विकास अधिकारी लोहाघाट जिला चम्पावत पर 10000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है	चम्पावत	ग्राम्य विकास	10000.00	0.00			चालान संख्या 00142 दिनांक 31.1.2015 के द्वारा 10000 हजार रूपये की शास्ति जमा कर दी गयी है।
A-13328	29.09.2014	2014	श्री वारिस अली,485/881 पश्चिमी अम्बर तालाब, रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड खण्ड शिक्षा अधिकारी रूड़की जिला हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	खण्ड शिक्षा अधिकारी रूड़की जिला हरिद्वार पर 10750 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	शिक्षा	10750.00	0.00			

A-15147	16.12.2014	2014	श्री अफराज अहमद, पुत्र श्री निवाज अहमद ग्राम सिरौली, कलां निकट मदीना मस्जिद पोस्ट व तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड लो.सू.अ. प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	लो.सू.अ. उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	प्राविधिक शिक्षा	25000.00	0.00			
A-14619	17.11.2014	2014	श्री हेमराज सिह गहलौत, प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, रा0इ0का0 थलीसैण, जनपद पोड़ी गढ़वाल – 246285 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उधम सिंह नगर	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उधम सिंह नगर एवं श्रीमती सुषमा सिंह अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊ मण्डल पर 15000–15000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधमसिंह नगर	शिक्षा	30000.00	0.00			
A-16167	17.11.2014	2014	श्री आशीष कुमार गर्ग, पुत्र डा राकेश कुमार गर्ग, हाउस नम्बर–374 कहरवान, बिहारीपुर बरेली उत्तर प्रदेश – 243003 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ, उत्तराखण्ड संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड डांडा लखौण्ड पोस्ट गुजराड़ा निकट आई.टी. आई. पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरारून	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ, उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	देहरादून	चिकित्सा	5000.00	0.00			

A-16345	30.12.2014	2014	श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी डॉ. राकेश कुमार गर्ग, हाउस नम्बर–374 कहरवान, बिहारीपुर, बरेली उत्तर प्रदेश – 243003 उप निदेशक फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड डांडा लखौण्ड पोस्ट गुजराड़ा निकट आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरारून	उप निदेशक फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून पर 3000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	चिकित्सा	3000.00	0.00			
A-15524	11.12.2014	2014	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल, पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, ग्राम चुपड़ाखेत, पोस्ट आदिचौरा, तहसील डीडीहाट जिला पिथारागढ़, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान शाखा डीडीहाट जिला पिथौरागढ	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान शाखा डीडीहाट जिला पिथौरागढ पर 15000 हजार रूपये की शास्त आरोपित किया जाता हैं	पिथौरागढ	जल संस्थान	15000.00	0.00			
A-15856	24.11.2014	2014	श्री केदार सिंह पुत्र श्री आलम सिंह, ग्राम ताजपुर पटवारी क्षेत्र कुन्दोली तहसील थराली जिला चमोली	नायब तहसीलदार तहसील थराली जिला चमोली पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	चमोली	राजस्व	10000.00	0.00			
A-15860	25.11.2014	2014	श्री नत्थीराम उनियाल, ग्राम बरसोली पोस्ट सौड़ वाया भल्लेगांव, टिहरी गढवाल,	राजस्व उप निरीक्षक, पाटाखातन द्वारा तहसीलदार देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल पर 5000 रूपये की शास्ति आरेपित किया जाता है	टिहरी गढ़वाल	राजस्व	5000.00	0.00			पत्रांक संख्या 236/र0 का0 विविध–2014 दिनांक 03 मार्च 2015 के द्वारा माह फरवरी 2015 की वेतन से कटौती कर दी जायेगी ।

A-15872	28.11.2014	2014	श्री धर्मवीर सैनी, हजारी बाग कनखल जिला हरिद्वार	सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र अन्तिम अभिलेख तहसील रूड़की जिला हरिद्वार पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	राजस्व	5000.00	0.00			
A-14881	18.11.2014	2014	श्री विनोद कुमार, 35 नेशविला रोड देहरादून उत्तराखण्ड जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, 509 आदर्श नगर धर्मपुर–1, देहरादून	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, 509 आदर्श नगर धर्मपुर–1, देहरादून पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	स्वजल	5000.00	0.00			
A-15694	19.12.2014	2014	श्री मोहन सिंह नेगी,5/33, तेग बहादुर रोड हाईडिल कालोनी, आराघर जिला देहरादून	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकार तहसील देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	राजस्व	10000.00	0.00			
A-15955	10.12.2014	2014	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राजाराम, ग्राम महतौली, पोस्ट सुल्तानपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार /प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत महतौली, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत महतौली, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	25000	0.00			
A-15536	10.12.2014	2014	श्रीमती विभा नामदेव, कबीर आश्रम ऋषिकेश जिला देहरूदन उत्तराखण्ड – 249203	कलेक्ट्रेट देहरादून पर 68 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	देहरादून	राजस्व	68.00	0.00			

A-16476	07.01.2015	2014	श्री रजनीश मित्तल, पुत्र श्री जे0पी0 मित्तल, लेन नम्बर –11, चम्न विहार निरंजनपुर पोस्ट माजरा जिला देहरादून–24171 अनु सचिव मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून उपाध्यक्ष मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण टान्सपोर्ट नगर सहारनुपर रोड देहरादून	अनु सचिव मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून पर 1750 रूपये की शास्ति आरेपित किया जाता है	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	1750.00	0.00			चालान संख्या 00194 दिनांक 13 फरवरी 2015 के द्वारा जाम कर दिया गया है
A-16269	09.01.2015	2014	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामखीलावन,गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग मोथरोवाला रोड देहरादून – 248001 अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून	अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	देहरादून	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	25000.00	0.00			पंत्राक संख्या 676 दिनांक 11.06.2015 के द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया मेन ब्रान्च के माध्यम से 13,14, मार्च एवं 35 अप्रेल को 25000 हजार रूपये की कटौती कर दी गयी है।
A-13871	16.12.2014	2014	श्री डी0सी0 मिस्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड	उप जिला अधिकारी हल्द्वानी जिला नैनीताल पर 14000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	नैनीताल	राजस्व	14000.00	0.00			
A-16786	19.03.2015	2014	श्री नत्थी लाल पुत्र स्व0 श्री दुर्गू ग्राम जुणगा, तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज जुणगा, उत्तरकाशी मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज जुणगा, उत्तरकाशी पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं।	उत्तरकाशी	शिक्षा	10000.00	0.00			

A-17115	18.03.2015	2014	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल,निवासी ग्राम लिव्वरहेड़ी तहसील रूडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम लिव्वरहेड़ी, विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार खण्ड विकास अधिकारी नारसन जिला हरिद्वार उत्तरखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम लिव्वरहेड़ी, विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	5000.00	0.00			
A-16722	16.03.2015	2014	श्री भूपेन्द्र कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हयूमन राईट्स फोरम, एच–255 नेहरू कालोनी देहरादून अपर निदेशक, (राष्ट्रीय कार्यक्रम) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, गुजराड़ा देहरादून	अपर निदेशक, (राष्ट्रीय कार्यक्रम) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, गुजराड़ा देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	चिकित्सा	25000	0.00			
A-16389	12.03.2015	2014	श्री पवेन्द्र सिंह,275 देहरादून मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून/उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड उप सचिव, उतराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की जिला हरिद्वार	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	तकनीकी शिक्षा	25000	0.00			
A-16782	13.03.2015	2014	श्री विष्णुदेव (कार्य0प्र0अ0)कैन्ट जू0हा0 स्कूल गढ़ी, देहरादून जिला शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून	जिला शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	देहरादून	शिक्षा	25000	0.00			

C-9886	12.03.2015	2014	श्रीमती शबनम पत्नी श्री तसीलम अहमद, लण्ढौर रोड, मौहल्ला पठानपुरा मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड बाल विकास परियोजना अधिकारी, मंगलौर टाउन, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मंगलौर टाउन, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	हरिद्वार	बाल विकास परियोजना	5000	0.00			
C-16176	12.01.2015	2014	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल निवासी, गांव लिब्बरहेड़ी तहसील रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड खण्ड विकास अधिकारी नारसन हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तरखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लिब्बरहेड़ी जिला हरिद्वार पर 25000 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता हैं	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	25000	0.00			
C-16534	14.01.2015	2014	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, ग्राम व पोस्ट बरा तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड – 263148 प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बरा विकास खण्ड रूद्रपुर जिला उधम सिह नगर खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर	तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बरा विकास खण्ड रूद्रपुर जिला उधम सिह नगर पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उधम सिंह नगर	ग्राम्य विकास	10000	0.00			
C-16280	16.01.2015	2014	श्री ऋषि सक्सैना, के/9, रजा टैक्सटाईल, पुरानी कॉलोनी, ज्वाला नगर रामपुर उत्तर प्रदेश अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपति किया जाता है।	उधम सिंह नगर	उर्जा	25000	0.00			
C-15657	03.12.2015	2014	श्री सुधीर गोयल, सी–21 नेहरू कालोनी, देहरादून कलेक्ट्रेट देहरूदन उत्तराखण्ड अपर जिला अधिकारी प्रशासन देहरादून	कलेक्ट्रेट देहरादून उत्तराखण्ड पर 8000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	देहरादून	राजस्व	8000	0.00			

A-16624	29.01.2015	2014	श्री समय सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद ग्राम रसूलपुर उर्फ कंकरखाता तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कंकरखाता विकासखण्ड लक्सर जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कंकरखाता विकासखण्ड लक्सर जिला हरिद्वार पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हें	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	5000	0			
C-9614	28.01.2015	2014	श्री जगदम्बा प्रसाद ममगाई, ग्राम पाली, पो0 अंजनीसैण, जिला टिहरी गढ़वाल। लोक सूचना अधिकारी/ उप शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड जाखणीधार टिहरी गढ़वाल जला शिक्षा अधिकारी प्रा0 शि0 नई टिहरी	उप शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड जाखणीधार टिहरी गढ़वाल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	टिहरी गढ़वाल	शिक्षा	25000	0			
A-16969	03.03.2014	2014	श्री शीशपाल सिंह, ग्राम व पोस्ट रूद्रपुर वाया सहसपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड खण्ड विकास अधिकारी, विकास नगर जिला देहरादून जिला विकास अधिकारी देहरादून	खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर जिला देहरादून पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	ग्राम विकास	10000	0			
A-15663	03.03.2014	2014	श्री राम सिंह पूर्व डिप्टी कमान्डेन्ट, ग्राम मुनस्यारी, पोस्ट मुनस्यारी जिला पिथौरागढ उत्तराखण्ड उप जिला अधिकारी मुनस्यारी जिला पिथौरागढ/अपर जिला अधिकारी पिथारौगढ़/ श्री अनिल कुमार शुक्ला, उप जिला अधिकारी सितारगंज/ विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी नैनीताल	तत्कालीन उप जिला अधिकारी, श्री अनिल कुमार शुक्ला, उप जिला अधिकारी सितारगंज/विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी नैनीताल पर 1000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हे।	नैनीताल	राजस्व	10000	0			

A-16971	03.03.2015	2014	श्री शुभाष शाह (से0नि0) पुत्र स्व0 श्री एन0जी0 शाह, वरिष्ठ नागरिक रायपुर क्षेत्र, मकान नम्बर 110, ओली मार्ग माता मन्दिर के पास रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रायपुर जिला देहरादून खण्ड विकास अधिकारी रायपुर, जिला देहरादून	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रायपुर जिला देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	ग्राम्य विकास	10000	0.00			
A-16973	03.03.2014	2014	श्री सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 श्री हरिप्रसाद, ग्राम ताछला, पोस्ट अमोला, वाया भृगुखाल, विकास खण्ड यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ताछला, वाया भृगुखाल यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ताछला, वाया भृगुखाल यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल पर पर 5000 रूपये की शासित अरोपित किया जाता हें	पौड़ी गढवाल	पौड़ी गढ़वाल	5000	0.00			
A-16632	31.01.2015	2014	श्री बीर सैन पुत्र स्व0 श्री उमराव सिंह,कस्बा बडौत, मौ0 विजयनगर गली नम्बर–6, मकान नम्बर 11/1112, गुराना रोड तहसील व पोस्ट बडौत, जिला बागपत उत्तर प्रदेश–250611 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूड़की स्थित लण्ढौरा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूड़की स्थित लण्ढौरा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हें	हरिद्वार	कृषि भूमि संरक्षण	5000	0.00			
A-16825	23.03.2015	2014	श्री शान्ति प्रसाद भट्ट, 124 मित्रलोक कालोनी, बललूपुर रोड देहरूदन उत्तराखण्ड मानव संसाधन, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह भवन, देहरादून मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, (वाणिज्य) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह भवन देहरादून उत्तराखण्ड	कार्यालय अधीक्षक, श्री पी0एस0 नेगी मानव संसाधन, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह भवन, देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	उर्जा	25000	0.00			

A-17169	25.03.2015	2014	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर करेली ट्रस्ट सुभाष घाट हरिद्वार बनाम नगर निगम हरिद्वार मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार पर **5000** हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	शहरी विकास	5000	0.00			
A-13716	02.05.2015	2014	श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, मार्फत श्री बी0बी0 आनन्द मकान नम्बर–113, नालापानी रोड पोस्ट रिस्पना जिला देहरादून उप निबंधक, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, कोषागार, टिहरी गढ़वाल निंबधक, फर्म सोसायटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड, देहरादून	उप निबंधक, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, कोषागार, टिहरी गढ़वाल पर **25000** हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है	देहरादून	सहकारिता	25000	0.00		Wp No. 24 (MIS) 2015 In the peculiar facts and circumstance of the case, I direct that meanwhile operation and effect of the impugned order shall remain stay	
A-16873	02.03.2015	2014	श्री राकेश पवांर सामाजिक कार्यकर्ता,डांग मल्ला मकान नम्बर–15/04, पोस्ट आफिस काफल पानी टिहरी गढ़वाल – **249130** मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा **358** रूपये का जो अतिरिक्त शुल्क लिया गया उसको सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया गया ।	टिहरी गढ़वाल	चिकित्सा	358	0.00			

A-16752	13.02.2015	2014	श्री अनिल वर्मा, लाल मन्दिर कालोनी ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड सहायक अभियन्ता, मुख्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग प्रखण्ड हरिद्वार अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग प्रखण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड	सहायक अभियन्ता, मुख्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्रामीण अभियन्त्रण	10000	0.00			
A-1776	19.02.2015	2014	श्री राजीव नौटियाल, संवाददाता कोर्ट रोड उत्तरकाशी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी उप जिला अधिकारी भटवाड़ी, उत्तरकाशी	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	उत्तरकाशी	नगर विकास	5000	0.00			
C-9823	23.03.2015	2014	श्रीमती सीमा तिवारी, पत्नी श्री भुवन ग्राम तिवारी ग्रांव, पोस्ट उंचाकोट ब्लाक बेतालघाट, जिला नैनीताल सामान्य प्रबन्धक, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लालकुआं, जिला नैनीताल	सामान्य प्रबन्धक, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लालकुआं, जिला नैनीताल पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	नैनीताल	डेयरी विकास	10000	0.00			पत्रांक, 804 दिनांक 11 जून 2015 के द्वारा प्रथम किस्त की वसूली कर ली गयी है।
A-16590	24.02.2015	2014	श्री रघुनाथ सिह नेगी,पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, अस्पताल रोड विकासनगर, जिला देहरादून कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	लोक निर्माण	25000	0.00			

A-16284	12.02.2015	2014	श्री गोपाल सिंह राणा पुत्र श्री आनन्द सिंह राणा,दीप नगर, नजदीक पानी की टंकी, देहरादून अधिशासी (मा0सं0), उपाकालि, विक्टोरिया कास विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून मुख्य स्तर–1(वाणिज्य), उपाकालि, विक्टोरिया कास विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून	अधिशासी अभियंता (मा0सं0), उपाकालि, विक्टोरिया कास विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून पर 24500 की शास्ति अरोपित किया जाता है।	देहरादून	ऊर्जा	24500	0.00			
A-17266	31.03.2015	2014	श्री शम्भू प्रसाद नौटियाल पुत्र श्री जगतराम नौटियाल, ग्राम डगोली, पोस्ट टिकोची विकास खण्ड व तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी खण्ड विकास अधिकारी मोरी जिला उत्तरकाशी जिला विकास अधिकारी उत्तरकाशी	खण्ड विकास अधिकारी मोरी जिला उत्तरकाशी पर 10,000 हजार रूपेये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उत्तरकाशी	ग्राम विकास	10000	0.00			
C-9812	31.03.2015	2014	श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव,97 राजपुताना पश्चिमी, रूड़की जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक व प्रा0 शि0, हरिद्वार	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक व प्रा0 शि0, हद्विार पर 25000–25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हे	हरिद्वार	माध्यमिक शिक्षा	50000	0.00			
A-16840	15.04.2015	2014	श्री विक्रम सिंह ,ग्राम बाजबगड़ पोस्ट मैठाणा, जिला चमोली उत्तराखण्ड / उप शिक्षा अधिकारी, जोशीमठ घाट जिला चमोली जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जिला चमोली	उप शिक्षा अधिकारी, जोशीमठ घाट जिला चमोली पर 6750 रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है।	चमोली	माध्यमिक शिक्षा	6750	0.00			चालान संख्या 03 दिनांक 13/07/15 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-16838	13.04.2015	2014	श्री सहीद पुत्र श्री गुलाम रसूद, निवासी ग्राम नगला खुर्द ब्लाक बहादराबाद जिला हरिद्वार /खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति ओरोपित किया जाता हैं	हरिद्वार	माध्यमिक शिक्षा	25000	0.00			

A-17354	15.04.2015	2014	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, चुपडाखेत, पोस्ट आदिचौरा, तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ भूमि संरक्षण अधिकारी, नियर खडायत भवन डीडीहाट जिला पिथौरागढ मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	भूमि संरक्षण अधिकारी, नियर खडायत भवन डीडीहाट जिला पिथौरागढ पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पिथौरागढ	कृषि भूमि संरक्षण	10000	0.00			चालान संख्या 05 दिनांक 26/06 2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-17387	16.04.2015	2014	मु0 आसिफ पुत्र श्री रसूल बख्स, निवासी ग्राम लहबोली ब्लाक नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड–247656 प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लहबोली, पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार खण्ड विकास अधिकारी, नारसन जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लहबोली, पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	10000	0.00			
A-16814 /2015	27.03.2015	2014	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी,गांधी चौक रानीखेत जिला अल्मोड़ा, राजस्व उप निरीक्षक, तिमला, रानीखेत जिला अल्मोड़ा राजस्व निरीक्षक, तिमिला रानीखेत जिला अल्मोड़ा	राजस्व उप निरीक्षक, तिमला, रानीखेत जिला अल्मोड़ा पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	अल्मोड़ा	राजस्व	10000	0.00			अप्रैल 2015 के वेतन से प्रथम किस्त की वसूली कर ली गयी है।
A-16957	09.04.2015	2014	श्री दलीप सिंह पुत्र श्री देवी राम,ग्राम कोटी पोस्ट कोटी कालोनी, तहसील कालसी जिला देहरादून प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कोटी, विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून उत्तराखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कोटी, विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	देहरादून	ग्राम्य विकास	10000	0.00			

A-16424	09.04.2015	2014	श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री विज्ञान प्रकाश, जी–37 रेसकोर्स जिला देहरादून लेखपाल क्षेत्र आमबाग तरला द्वारा तहसीलदार सदर जिला देहरादून	लेखपाल क्षेत्र आमबाग तरला द्वारा तहसीलदार सदर जिला देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	राजस्व	25000	0.00			
A-17232	08.04.2015	2014	श्री हरिओम अरोड़ा पुत्र स्व0 श्री लोक नाथ अरोड़ा,मकान नम्बर–466, आवास विकास रूड़की, थाना कोतवाली गंगनहर रूड़की, जिला हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड अपर जिला अधिकारी प्रशासन जिला हरिद्वार	जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	10000	0.00			
A-17234	08.04.2015	2014	श्री हरदेवा पुत्र श्री मंगत, निवासी ग्राम गोविन्दपुर वाजिदपुर परगना व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकार हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पूर्ति अधिकार हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	5000	0.00			
A-17277	08.04.2015	2014	श्री बीरेन्द्र सिंह ,ग्राम पसौली, पोस्ट लांघा वाया डाकपत्थर जिला देहरादून उत्तराखण्ड– 248125 प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लांघा विकास खण्ड विकासनगर जिला देहरादून खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर, जिला देहरादून	प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लांघा विकास खण्ड विकासनगर जिला देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	देहरादून	ग्राम्य विकास	10000	0.00			

A-17421	21.04.2015	2014	श्री मुबारीक पुत्र मुस्तकीम, ग्राम धीर मजरा, पोस्ट हल्लूमजरा, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड जिला पंचायत राज अधिकारी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पंचायत राज अधिकारी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	ग्राम्य विकास	5000	0.00			
A-17417	20.04.2015	2014	श्री रफीक अहमद पुत्र श्री सूबेदार ग्राम राजपुर, पोस्ट नादेही तहसील जसपुर जिला उधम सिहनगर उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित किया जाता है	उधम सिंह नगर	ग्राम्य विकास	10000	0.00			
A-17467	23.04.2015	2014	श्री आसिम अजहर, सम्पादक क्राइम का शिकंजा ग्राम मिस्सरवाला, पोस्ट कुण्डा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड जिला विकास अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड जसपुर जिला उधम सिह नगर उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	उधम सिंह नगर	ग्राम्य विकास	5000	0.00			चालान संख्या ए25150001 दिनांक 02.06 2015 के द्वारा कर ली गयी है
A-17042	23.04.2015	2014	श्री सुबोध सिंह बिष्ट,पुत्र श्री मदन सिंह बिष्ट टकाना लाईन पिथौरागढ उत्तराखण्ड अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ उप जिला अधिकारी, पिथौरागढ	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पिथौरागढ	नगर विकास	5000	0.00			

A-17422	21.04.2015	2014	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री जमन राम,ग्राम चूलाकोट पोस्ट गुरना तहसील एवं जिला पिथौरागढ खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड पिथौरागढ उत्तराखण्ड जिला विकास अधिकारी जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड पिथौरागढ उत्तराखण्ड पर 2000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	पिथौरागढ	ग्राम्य विकास	2000	0.00			चालान नम्बर–118 दिनांक 21 मई 20015 के द्वारा 2000 रूपये वसूल कर लिये गये हैं
A-17464	22.04.2015	2014	श्री भुवन चन्द्र पाठक,ग्राम व पोस्ट संगौड़ विकास खण्ड बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत संगौड़ विकास खण्ड बेरीनाग खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बेरीनाग जिला पिथौरागढ उत्तराखण्ड	प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत संगौड़ विकास खण्ड बेरीनाग पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पिथौरागढ	ग्राम्य विकास	10000	0.00			
A-17085	16.04.2015	2014	श्री ऋषिपाल पुत्र स्व0 श्री बृजलाल अग्रवाल,निवासी कस्बा झबरेड़ा, पोस्ट खास जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड थानाध्यक्ष, थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार पुलिस उपाधीक्षक, मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	थानाध्यक्ष, थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	हरिद्वार	गृह	25000	0.00			
A-15776	10.04.2015	2014	श्री गंगा सिंह ल्वाल, महासचिव, जौहार सांस्कृतिक संस्था 18 ई0सी0 रोड देहरादून , अधिशासी अभियन्ता मानव संसाधन उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन विक्टोरिया क्रास बिजेता गबर सिह भवन देहरादून मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, वाणिज्य उपाकालि गबर सिंह भवन देहरादून	अधिशासी अभियन्ता मानव संसाधन उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन विक्टोरिया कास बिजेता गबर सिह भवन देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	देहरादून	उर्जा	25000	0.00	श्री के0बी0 चौबे, उप महाप्रबंधक, औद्योगिक संबंध, एवं कार्मिक उपाकालि के विरूद्ध लगातार सूचना न दिलाये जाने पर उनके विरूद्ध सम्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।		

C-10045	22.04.2015	2014	श्री कड्डाल सिंह पूर्व प्रधान, ग्राम कुर्माथा, पोस्ट मोहन चट्टी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड तहसीलदार तहसील यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल तत्कालीन तहसीलदार तहसील यमकेश्वर द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल	तत्काली तहसीलदार तहसील यमकेश्वर श्री सुभाष चन्द्र ध्यानी पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता हैं	पौड़ी गढवाल	राजस्व	10000	0			
A-17632	13.05.2015	2014	श्री मुरारी लाल जोशी, ग्राम व पोस्ट डुण्डा जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा जिला उत्तरकाशी जिला विकास अधिकारी उत्तरकाशी	खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा जिला उत्तरकाशी पर 822 रूपये की राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिये गये है	उत्तरकाशी	ग्राम विकास	822	0			
A-17636	13.05.2015	2014	श्री अवतार सिंह चौहान,पुत्र श्री चन्द्र सिंह ग्राम नैथाणा, पट्टी चौरास, विकास खण्ड कीतिनगर पोटस् किलकिलेश्वर जिला टिहरी गढ़वाल प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नैथणा, विकास खण्ड कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नैथणा, विकास खण्ड कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	टिहरी गढ़वाल	ग्राम्य विकास	5000	0			
C-9807	29.04.2015	2014	श्री नरेन्द्र पाल सिंह 110/1–ए, संजय गांधी कालोनी, रूड़की जिला हरिद्वार प्रधानाचार्य, राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय इण्टर कालेज गुरूकुल नारसन जिला हरिद्वार	प्रधानाचार्य, राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय इण्टर कालेज गुरूकुल नारसन जिला हरिद्वार पर 11750 की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	माध्यमिक शिक्षा	11750	0			

A-17519	28.04.2015	2014	श्री जगदम्बा प्रसाद ममगाई, ग्राम पाली, पोस्ट अंजनी सैण जिला टिहरी गढ़वाल–249121 खण्ड विकास अधिकारी जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल जिला विकास अधिकारी विकास भवन, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल	खण्ड विकास अधिकारी जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल पर 7500 की शास्ति आरोपित किया गया है।	टिहरी गढ़वाल	ग्राम्य विकास	7500	0				
A-14968	27.03.2015	2014	श्री कमल सिंह निवासी एस0एल0 168 भूभूतवाला बाग शिवलोक कालोनी भगत सिंह चौक हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी जिला हरिद्वार अपर जिला मजिस्ट्रैट प्रशासन जिला हरिद्वार	जिला पूर्ति अधिकारी जिला हरिद्वार पर 6000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हरिद्वार	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	6000	0				

वर्ष 2014–15 में
आयोग को प्राप्त बजट

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, GAD (S017)

आवंटन पत्र संख्या - 4076/xxxi(13)G/2014

अनुदान संख्या - 006

अलोटमेंट आई डी - S1412060

आवंटन पत्र दिनांक -16-Dec-20

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

: लेखा शीर्षक 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें | 00 -

800 - अन्य व्यय | 13 - सूचना आयोग की स्थापना

00 - सूचना आयोग की स्थापना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	7800000	0	7800000
02 - मजदूरी	300000	0	300000
03 - महंगाई भत्ता	8600000	0	8600000
04 - यात्रा व्यय	140000	0	140000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	80000	0	80000
06 - अन्य भत्ते	806000	694000	1500000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	1200000	300000	1500000
09 - विद्युत देय	500000	500000	1000000
10 - जलकर / जल प्रभार	40000	0	40000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	300000	0	300000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400000	823000	1223000
13 - टेलीफोन पर व्यय	600000	0	600000
14 - कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों	1350000	0	1350000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	1600000	0	1600000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	6000000	1025000	7025000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	1000	400000	401000
18 - प्रकाशन	300000	0	300000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	70000	0	70000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	200000	0	200000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	150000	0	150000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	200000	300000
42 - अन्य व्यय	600000	0	600000
44 - प्रशिक्षण व्यय	1000	0	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	100000	200000	300000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	230000	0	230000
	31618000	**4142000**	**35760000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4142000

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची वर्ष 2014 – 15

क्र.सं.	नाम एवं	पदनाम
1	श्री एन. एस. नपलच्याल,	मुख्य सूचना आयुक्त
2	श्री विनोद नौटियाल,	राज्य सूचना आयुक्त (15/12/2014 तक)
3	श्री अनिल कुमार शर्मा,	राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री प्रभात डबराल,	राज्य सूचना आयुक्त
5	श्री राजेन्द्र कोटियाल,	राज्य सूचना आयुक्त
6	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,	राज्य सूचना आयुक्त
7	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल,	सचिव
8	श्री राजेश नैथानी,	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
9	श्री टी.एस. बिष्ट,	विधि सलाहकार
10	श्री मनमोहन नैथानी,	सहायक लेखाधिकारी
11	श्रीमती हीरा रावत,	समीक्षा अधिकारी
12	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै,	समीक्षा अधिकारी
13	श्री उमेश चन्द्र सिंह,	सहायक समीक्षा अधिकारी
14	श्री सौरभ कुमार,	सहायक समीक्षा अधिकारी
15	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
16	श्री नरेश बिजलवाण,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
17	कु. रेशमा फर्स्वाण	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
18	श्री सुमन सिंह रावत,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
19	कु. ममता रावत,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
20	श्री मानवेन्द्र पटवाल	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
21	श्री पंकज कुमार	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
22	श्रीमती चन्द्रा गुसांई,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
23	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
24	श्रीमती अनुराधा,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
25	श्रीमती रजनी भण्डारी,	व्यैक्तिक सहायक
26	श्री शैलेन्द्र हटवाल,	व्यैक्तिक सहायक
27	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया,	कम्प्यूटर आपरेटर

28	श्रीमती अमृता गुरूंग,	कम्प्यूटर आपरेटर
29	श्री मनोज सिंह,	कम्प्यूटर आपरेटर
32	श्री पंकज कुमार,	रिकॉर्ड कीपर / कम्प्यूटर आपरेटर
30	श्री फकीर सिंह,	अनुसेवक
31	श्री मनोज कुमार,	अनुसेवक
33	श्री रवेन्द्र सिंह,	अनुसेवक
34	श्री हरपाल सिंह,	अनुसेवक
35	श्री सौरभ बडोनी,	अनुसेवक
36	श्री सुरेन्द्र पाल,	अनुसेवक
37	श्री चंचल राम,	अनुसेवक
38	श्री अमर दीप	अनुसेवक
39	श्री प्रकाश सिंह,	अनुसेवक
40	श्री त्रिलोक सिंह	अनुसेवक
41	श्री नन्दन सिंह खोलिया	अनुसेवक
42	श्री प्रदीप खत्री	अनुसेवक
43	श्री सुरेश कुमार	अनुसेवक
44	श्री नन्दू कुमार	वाहन चालक
45	श्री विपिन कुमार,	वाहन चालक
46	श्री नागेन्द्र भट्ट,	वाहन चालक
47	श्री रमेश वर्मा,	वाहन चालक
48	श्री अमित कोहली	वाहन चालक
49	श्री धारा सिंह,	वाहन चालक
50	श्री बृजमोहन,	वाहन चालक
51	श्री अमर ठाकुर	वाहन चालक
52	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,	सुरक्षा गार्ड
53	श्री हरि सिंह पटवाल,	सुरक्षा गार्ड
54	श्री वासुदेव पंथी,	सुरक्षा गार्ड
55	श्री मोहन सिंह नेगी,	सुरक्षा गार्ड

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779
ईमेल : uicddn@gmail.com वेबसाईट: http//uic.gov.in

Adarsh # 9897679443